Ok"ki 41( vad 12 ( fnlEcj 2019( eY; nl #lk,

# सीटू मजदूर

## श्रीनगर में बिजली मजदूरों द्वारा विरोध

*(Report Page 21)*

## संसद पर जेएनयू छात्रों द्वारा विरोध

*(Report Page 25)*

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

# शोक संवेदना

## कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता को श्रद्धांजलि

देश के वयोवृद्ध ट्रेड यूनियन नेता और प्रख्यात सांसद, कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता के लम्बी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर को निधन से सीटू को गहरा दुख हुआ है।

कॉमरेड दासगुप्ता ने 31 अक्टूबर को अंतिम सांस ली, जिस दिन भारत के पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन एटक का मजदूर वर्ग के आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी की एकता और संघर्ष का सूत्रपात करते हुए गठन किया गया था, जिसकी विरासत एटक और सीटू दोनों की रही है। उन्होंने महासचिव के रूप में एटक का एक दशक से अधिक समय तक नेतृत्व किया।

कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता राष्ट्रीय स्तर के छात्र नेता रहे और उन्होंने लंबे समय तक एआईएसएफ का संचालन किया। मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ उनका जुड़ाव पांच दशक से अधिक समय से था, जिसके दौरान उन्होने नवउदारवादी आर्थिक नीति के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष में ट्रेड यूनियनों के एकजुट मंच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह 25 वर्षों तक संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे और मजदूर वर्ग और हाशिए पर पड़े जनता के अन्य सभी तबकों के हितों के लिए एक उत्कृष्ट सांसद थे।

सीटू दिवंगत नेता को मेहनतकश जनता, उनके अधिकारों एवं आजीविका के संघर्षों; लोकतंत्र एवं देश तथा उसकी जनता की एकता और अखंडता की रक्षा करने में, उनके महान योगदान के लिए सलाम करता है। कॉमरेड गुरुदास दासगुप्ता का निधन देश के मजदूर वर्ग और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति है। सीटू दिवंगत नेता को सम्मानजनक श्रद्धांजलि देता है और एटक में उनके साथियों और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

## कॉमरेड एस. कुमार

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूर वर्ग के आंदोलन के नेता और संगठनकर्ता कामरेड एस. कुमार का 9 नवंबर 2019 को 80 वर्ष की आयु में सिर में चोट लगने के कारण निधन हो गया।

कामरेड कुमार कम उम्र में पश्चिम बंगाल में वाम आंदोलन में शामिल हो गए। 1970 के दशक में अर्ध–फासीवादी आतंक के दिनों में, उन्होंने मध्य प्रदेश में शरण ली और मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करने और उनके संघर्षों का नेतृत्व करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में कोयला मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। कामरेड कुमार ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के संस्थापक पदाधिकारी थे; अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटू के संस्थापक सचिव; और नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में माकपा के पहले राज्य सचिव रहे। वह अविवाहित थे, एक साधारण जीवन व्यतीत करते रहे और मजदूरों और मेहनतकश तबकों के बीच हमेशा जाने पहचाने नेता रहे।

उनकी मृत्यु से मजदूर वर्ग के आंदोलन, विशेष रूप से, सीटू ने एक महान संगठनकर्ता और नेता को खो दिया है। सीटू दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देता है और साथियों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है

सम्पादकीय

# छात्रों के बढ़ते संघर्ष


# सीटू मजदूर

## सीआईटीयू का मुखपत्र

## दिसम्बर 2019



सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन,~~

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत


अंदर के पृष्ठों पर


| | |
|---|---|
| m|kx ,o {k= | |
| r:y&eknh ljdkj dk | |
| futhdj.k dk dne vkj | |
| etnjk d l?k"k | |
| & Lon'k no jk; | 5 |
| r:yxkuk lMd ifjogu etnjk | |
| dh ,frgkfld gMrky | |
| &d-d- fnokdj.k | 10 |
| vkbQk dk 9ok lEe:yu | 17 |
| jkT;k l | 19 |
| U;ure oru dh yMkb e | |
| ,d thr | 23 |
| t,u;u Nk= vkUnkyu | |
| turk dk leFku | 25 |


n'k d vyx&vyx fgLlk e fiNy dN le; l Nk=k d l?k"kk dk mcky vk;k gvk gA ,d eghu l T;knk l t,u;u d Nk= fujd'k okbl pklyj vkj 'k=rki.k Álk'ku d f[kykQ gMrky dj lMdk ij mrj g, g ftlu viu gh Nk=k d fo#) ;) NM j[kk gA rktkrjhu eÌ Hkkjh Qhl of)] Nk=k dh vfHk0;fDr dh vktknh ij ikcnh] ifjlj e mudh eDr vkoktkgh ij cfn'k rFkk eÌk d lek/kku d fy, ijke'k] fopkj&foe'k o lokn d turkf=d rkj&rjhdk dk NkM nu d gA fp'ofo|ky; dk Álk'kfud vkn'kk l pyk;k tk jgk gA bld lkFk gh l:ln d le{k Nk=k d 'kkfUri.k fojk/k ij fnYyh ifyl dh djokbl g tk lh/k dUæ ljdkj d v/khu gA

t,u;u ler Nk=k d chp bl cpuh o v'kkfUr d bl ?kVuk fodkl d lkFk dbl xgj eÌ tM gA Nk=] lo/kkfud eY;k d {kj.k d f[kykQ yM jg g ftldh otg ekn ljdkj dh ubl f'k{kk uhfr e gA f'k{kk d lkFk] 0;kolk;hdj.k o futhdj.k d fy, Á;Dr oLr d tlk 0;ogkj fd;k tk jgk gA ljdkj] Ákbejh l ydj mPp f'k{kk rd viuh lLFkkfud ftEenkfj;k l ihN gV jgh gA dbl Hkktik 'kkflr jkT;k e gvk ?kVuk fodkl bldh if"V djrk gA

lkekftd #i l gkf'k; ij iM rcdk & ,l-lh-] ,l-Vh-] vkchlh rFkk vkfFkd #i l detkj rcdk d Nk=k d ofpr gku dk eÌk Hkh gA bld lkFk f'k{kk dk Hkxokdj.k vkj lkEÁnkf;d foHkktu Hkh tM gA if'pe cxky e vlonu'khy ljdkj oru o U;k; d fy, ijk Vhpl d i[kokM Hkj d /kju@Hk[k gMrky d nkjku vkj dN ugh vu'kkluRed dkjokbl d fy, xjgkftj ijk Vhpjk dh fxurh dj jgh gA ,lh gh gkyr vyx&vyx jkT;k e Ákbejh l ydj mPp f'k{kk rd e yx ,Mgkd f'k{kdk dh g tk cMh l[;k e LFkk;h f'k{kdk d [kkyh iM ink dh ,oth dke dj jg gA

VM ;fu;u vkUnkyu bu ?kVukvk dh vun[kh ugh dj ldrk gA lhVl igy gh l?k"kjr Nk= o f'k{kd vkUnkyuk d lkFk viuk leFku o ,dtVrk 0;Dr dj pdk gA

VM ;fu;u vkUnkyu d lkeu tk 0;kid tuoknh eÌ mifLFkr g] Nk=k dk l?k"k mlh dk fgLlk gA Hkkjr d Hkfo"; d fy, ,d tuoknh ekpl dh r;kjh d fy, bu eÌk dk etnj ox dh pruk dk fgLlk cukuk gkxkA

# 8 जनवरी 2020 की आम हड़ताल के लिए

## ग्रामीण हड़ताल का ए.आई.के.एस.का फैसला; आम बन्द का आह्वान

21–22 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आई.के.एस.) की केंद्रीय किसान कमेटी (सी.के.सी.) ने सर्वसम्मति से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) द्वारा आहूत 8 जनवरी 2020 की मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल का समर्थन करने का संकल्प लिया।

ए.आई.के.एस. ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने चावल के दाम, बेरोजगारी, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित आवश्यक सेवाओं, रेलवे का निजीकरण, आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने के खतरे, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, आदि मुद्दों को उठाया है। आम हड़ताल वास्तव में भारत की जनता के ज्वलंत मुद्दों पर केन्द्रित है।

किसानों की आत्महत्याओं के साथ कृषि संकट लगातार गहराता जा रहा है; आमदनी घट रही है क्योंकि खेती की लागत बढ़ रही है और कीमतें लाभकारी नहीं हैं; मनरेगा को खत्म किया जा रहा है; फसल बीमा योजना केवल कॉरपोरेट कंपनियों को मुनाफा कमाने में मदद कर रही है; यहाँ तक कि पीएम–किसान के तहत मामूली सी राहत भी व्यापक बहुमत को उपलब्ध नहीं है; कर्जों का बोझ और भुखमरी बढ़ रही है। मेहनतकश जनता के सभी तबकों में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष और गुस्सा है।

केन्द्रीय किसान कमेटी ने किसानों के मुद्दों को उजागर करने का फैसला किया और पिछले आम चुनाव के बाद पहली बड़ी देशव्यापी हड़ताल को मुकम्मल बन्दी/बन्द के तौर पर जनता का जबरदस्त विरोध बनाने का काम करने का निर्णय लिया है। 8 जनवरी, 2020 को ग्रामीण हड़ताल भी की जाएगी।

सभी तबकों, विभिन्न जन और वर्गीय संगठनों के साथ–साथ नागरिक समाज के समूहों को भी आम हड़ताल और बन्द को ऐतिहासिक बनाने के लिए ए.आई.के.एस., सीटू और ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. के साथ मिलकर पहल करेगा। अन्य सभी वामपंथी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील सोच वाले संगठनों के सहयोग से बड़े पैमाने पर *रास्ता रोको* और *रेल रोको* आयोजित किया जाएगा।

## बिरादराना वर्गीय और जन संगठनों की संयुक्त बैठक

सीटू, ए.आई.के.एस., ए.आइ.ए.डब्ल्यू., डी.वाई.एफ.आई. और एस.एफ.आई. के अखिल भारतीय नेतृत्व ने 28 अक्टूबर को बीटीआर भवन नई दिल्ली में संयुक्त बैठक की और सर्वसम्मति से 8 जनवरी 2020 को मजदूरों की अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में कार्यक्रम तय किए।

सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति व्यक्त की गई, कि भाजपा सरकार के खिलाफ मेहनतकश जनता के सभी तबकों में व्याप्त असंतोष और गुस्से को ध्यान में रखते हुए, इस पहली बड़ी देशव्यापी हड़ताल को बंद के रूप में जनता के बड़े पैमाने पर विरोध में बदला जाना चाहिए।

1 नवंबर को एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि जनता की आजीविका से जुड़े मुद्दे; सामाजिक रूप से उपेक्षित तबके पर अत्याचारों के साथ–साथ संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले जैसे गंभीर राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों को संयुक्त ट्रेड यूनियनों के मंच द्वारा उठाया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि किसान ग्रामीण हड़ताल और छात्रों द्वारा छात्रों की हड़ताल का आयोजन किया जाएगा; 8 जनवरी को बड़े पैमाने पर *रास्ता रोको* और *रेल रोको* में सभी वाम, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील संगठनों और ताकतों को शामिल किया जाएगा।

बैठक में प्रत्येक संगठन द्वारा संयुक्त और अलग–अलग परिपत्र जारी करने का निर्णय लिया; जिला स्तर की संयुक्त बैठकों के बाद राज्य स्तर पर मीटिंगें आयोजित की जाऐ; राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के संयुक्त सम्मेलन; संयुक्त अभियान और जनता की व्यापक लामबन्दी; शहर/गाँव स्तर की जनसभाएँ करना; अभियान, रैलियों और अन्य प्रदर्शनकारी कार्यक्रमों का आयोजन करें और प्रगति की संयुक्त रूप से निगरानी करें।

# उद्योग एवं क्षेत्र

## ऑयल एवं पेट्रोलियम

## मोदी सरकार की निजीकरण की मुहिम व मजदूरों के संघर्ष

*[‘विनिवेश झटकेः प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में बिक्री की घोषणा’ – सीसीईए (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति) की बैठक के बाद 20 नवंबर, 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता की रिपोर्ट करते हुए कॉरपोरेट मीडिया की सुर्खियां थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने रणनीतिक बिक्री के माध्यम से बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन का निजीकरण करने; बिजली कम्पनियों – टीएचडीसी और एनईईपीसीओ में पूरी हिस्सेदारी बेचने और पॉवर पीएसयू में प्रमुख एनटीपीसी के प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण का निर्णय लिया है। मोदी सरकार की विफल अर्थव्यवस्था में बजट घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से 1.05 लाख करोड़ रुपये की राशि का लक्ष्य मौजूदा केंद्रीय बजट में रखा गया है। जबकि, असम में जनता के आंदोलन का सामना करने के चलते, सीसीईए ने बीपीसीएल की सहायक नुमालीगढ़ रिफाइनरी को निजीकरण से बाहर करने का निर्णय लेकर, सरकार ने एक कदम पीछे ले लिया।*

*सीटू के राष्ट्रीय सचिव एस देव रॉय ने निम्नलिखित लेख में सरकार के फैसले के कारण, दांव पर लगे मुख्य मुद्दों के खिलाफ तेल क्षेत्र के मजदूरों के विरोध व प्रतिरोध की चर्चा की है]*

## जिन बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया गया था; मोदी सरकार उन्हीं के स्वागत को बिछी जा रही है

**स्वदेश देवराय**

मोदी सरकार ने हाल ही में जिन ‘‘प्रोत्साहनकारी आर्थिक पैकेजों’’ की घोषणा की, वे मुख्यतः देश के बड़े आर्थिक घरानों को लाभ पंहुचाने के लिए ही हैं और देश के खजाने को इसके लिए 1.45 लाख करोड़ रु0 की भारी कीमत चुकानी है। ऐसे और प्रोत्साहनकारी पैकेज अभी सरकार के विचाराधीन हैं। राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को उनकी भारी भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ बेचने जा रही है। सरकार ने इस तथ्य की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण से इन इकाइयों से मिलनेवाले करों, शुल्कों तथा डिविडेंडों के रूप में मिलनेवाली भारी रकम के होनेवाले नुकसान के रूप में राजस्व घाटा होना तय है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचने के जरिए फंड जुटाने के ये कदम अंततः केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को और बढ़ा देंगे और अंततः बोझ आम जनता पर ही पड़ेगा।

निजीकरण की इस विनाशकारी प्रक्रिया को तेज करने के इरादे से केंद्र सरकार ने तमाम प्रशासनिक मंत्रालयों को दरकिनार करके निजीकरण की शॉर्टकट राह चुनी है। पी.एम.ओ., नीति आयोग तथा दीपम की तिकड़ी को आत्मघाती ‘‘प्रोजेक्ट प्राइवेटाइजेशन’’ को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खतरनाक शक्ति प्रदान कर दी गयी है।

**बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. के निजीकरण की आत्मघाती जल्दबाजी**

केंद्रीय मंत्रीमंडल पहले ही बी.पी.सी.एल. में सरकार के सारे 53.29% हिस्से की बिक्री, शिपिंग कारपोरेशन में अपने 63.75% हिस्से, कोनकोर में 30% हिस्से, नीप्को में 100% हिस्से और टी.एच.डी.सी. में 75% हिस्से को बेचने के लिए अपनी मंजूरी दे चुका है। बाद में एच.पी.सी.एल. को भी पहली सूची में जोड़ दिया गया।

पहले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की हिस्सा–पूंजी के विनिवेश को सही ठहराने के लिए सरकारों तथा निजी बिजनेस लॉबियों ने संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के तथाकथित बदतर प्रदर्शन को लेकर कुत्सा प्रचार अभियान चलाया जाता था। लेकिन मोदी सरकार का शानदार ढ़ंग से चल रही भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 (बी.पी.सी.एल.) तथा हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन

लि0 (एच.पी.सी.एल.) का पूरी तरह से निजीकरण करने का स्तब्धकारी फैसला साफतौर पर यह दिखाता है कि मौजूदा केंद्र सरकार पूरी तरह से दरबारी निजी बिजनेस घरानों तथा उनके विदेशी सहयोगियों के कब्जे में है। और उसे जनमत की कोई परवाह नहीं है।

**बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध संघर्ष और बी.पी.सी.एल तथा एच.पी.सी.एल. की स्थापना**

सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल इकाइयां–बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. इस माने में जनता की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं कि पचास के दशक में हमारे देश में चल रही बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में जबर्दस्त जनसंघर्ष चला था। इस तरह के संघर्ष का राजनीतिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य यह था कि बेहद शोषणकारी निरंकुश बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों को देश से बाहर खदेड़ा जाए और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र भारत का औद्योगीकरण हो; जैसा कि संसद के 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव था।

अक्टूबर 1967 में कोलकाता के चितरंजन एवेन्यू में कालटेक्स के कार्यालय के समक्ष करीब 50,000 लोगों का विशाल जुझारू प्रदर्शन जनता की सबसे जबर्दस्त कार्रवाई थी। बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण और बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के गठन के पीछे यही कारक थे।

विदेशी तेल कम्पनियों राष्ट्रीयकरण अधिनियम के द्वारा वर्श एस्सो (1974), बर्मा शेल (1976) तथा कालटेक्स (1977) का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष 1976 में 24 जनवरी को भारत सरकार ने बर्मा शेल का भारत रिफाइनरीज लि0 के रूप में अधिग्रहण कर लिया। वर्ष 1977 में 1 अगस्त को इसका भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 (बी.पी.सी.एल.) नाम दिया गया। यह पहली रिफाइनरी भी थी जिसने यू.एस.एस.आर. की मदद से बॉम्बे हाई के गहरे समंदर में खोजे गए ऑयल फील्ड के ओ.एन.जी.सी. द्वारा उत्पादित घरेलू कच्चे तेल को प्रोसेस करना शुरू किया।

स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी, बदलकर एस्सो स्टैंडर्ड रिफाइनिंग कंपनी हो गयी और 1974 में लूब इंडिया तथा एस्सो को जोड़ दिया गया और मौजूदा एच.पी.सी.एल. अस्तित्व में आयी।

इस माने में बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. भारत के दो ऐतिहासिक आधुनिक स्मारक हैं। अब मोदी सरकार देश के इन ऐतिहासिक स्मारकों को जिस तरह से ध्वस्त कर रही है वह कारपोरेट की जरखरीद मौजूदा सरकार की शर्मनाक, स्तब्धकारी तथा देशद्रोही करतूत है।

**बी.पी.सी.एल. की परिसम्पत्तियाँ**

मुंबई, कोच्ची, नुमालीगढ़ (असम) तथा बीना की चार रिफाइनरियों के साथ बी.पी.सी.एल. की कच्चे तेल को रिफाइन करने की कुल क्षमता 38.3 एम एम टी प्रति वर्ष है। यह देश में सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई की अपनी तमाम रिफाइनरियों के नजदीक व्यापक स्टोरेज के लोकेषन और वितरण इन्स्टॉलेशंस हैं। पैट्रोलियम उत्पादों के स्टोरेज तथा वितरण के लिए बी.पी.सी.एल. के 77 प्रमुख ऑयल इन्स्टालेशंस और डिपो हैं, 55 एल पी जी बोटलिंग प्लांट हैं, 2241 किलोमीटर लंबी मल्टीप्रोडेक्ट पाइपलाइन है, हवाई अड्डों में 56 एवियशन फ्यूलिंग स्टेशंस हैं, 5 लुब्रिकेंट प्लांट और लुब्रिकेंट गोदाम हैं और प्रमुख बंदरगाहों में कच्चे और फिनिश्ड उत्पादों के लदान–उतरान की सुविधाएं हैं। इसके अलावा भारत तथा विदेश में इसकी 11 सब्सीडियरी कंपनियां हैं, 22 संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं और विभिन्न कंपनियों में उसकी शेयरहोल्डिंग है। इसके अलावा बी.पी.सी.एल. की पूरे भारत भर में महानगरों तथा अन्य षहरों में प्रमुख जगहों पर विशाल जमीनें हैं। बी.पी.सी.एल. का भारत में पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स मार्केटिंग में 24% हिस्सा है।

अपने पैट्रोलियम उत्पादों के लिए बी.पी.सी.एल. का पूरे भारत में एक विशाल सेल्स नेटवर्क है जिनमें 15078 रिटेल आऊटलेट हैं और करीब 6004 एल पी जी वितरक एजेंसियां हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों में एवियशन फ्यूल सेल्स सुविधाएं हैं और देशभर में लुब्रिकेंट्स और दूसरे बल्क सेल्स दुकानें हैं।

बी.पी.सी.एल. की एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति उसकी सुदीर्घ और हमेशा ही मजबूत रही ''ब्रांड वैल्यू'' है। ई.टी. एनर्जी वर्ल्ड द्वारा किए गए ''एक्पर्ट ओपिनियन'' सर्वे के अनुसार *''उसके (बी.पी.सी.एल.) के पास दुनिया में तेजी से बढ़ते तेल बाजार में दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर बनने का अवसर है।''*

इसके अलावा बी.पी.सी.एल. के पास अभी पूरे देष में रु० 48,182 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाएं हैं, जिनमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 6.00 एम.एम.टी.ए. के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। बी.पी.सी.एल. के पास 2017 से ही ''महारत्न'' कंपनी का दर्जा है।

अपने गठन के समय से ही पिछले पांच दशकों में बी.पी.सी.एल. निरंतर मुनाफा कमाता रही है। इसके अलावा उसने डिविडेंड, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों और सेल्स टैक्स आदि के रूप में हर वर्ष राष्ट्रीय खजाने में जबर्दस्त अंशदान किया है। वर्श 2014–15 में जहां कंपनी का कुल टर्नओवर 2.47 लाख करोड़ रु0 था वह 2018–19 में बढकर 3.39 लाख करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान टैक्स अदा करने से पहले उसका मुनाफा 50,576 करोड़ रु0 और टैक्स अदा करने के बाद 35,288 करोड़ रु0 था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस पैट्रोलियम इकाई ने इस अवधि के दौरान डिविडेंड के रूप में रु0 17,246 करोड़ का भुगतान किया। खुद पिछले वित्तीय वर्ष में बी.पी.सी.एल. ने टैक्सों के रूप में राष्ट्रीय खजाने में करीब रु0 96,000 करोड़ का अंशदान किया है। बी.पी.सी.एल. की परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा।

**एच.पी.सी.एल. की परिसम्पत्तियाँ**

एच.पी.सी.एल. के पास 18 एम टी टी ए की रिफाइनिंग क्षमता है और वह 15,127 फ्यूल रिटेल आऊटलेट चलाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी की शुद्ध बिक्री में 22%का इजाफा हुआ है और यह बिक्री 3 लाख करोड़ रु0 तक पंहुच गयी। उसने 7,218 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। मौजूदा सरकार के निर्देशों के तहत ओ एन जी सी को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 36,915 करोड़ रुपये की असामान्य ऊंची दर पर एच.पी.सी.एल. की 51.11 :की कुल हिस्सा–पूंजी खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2017–18 के विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने लिए सरकार ने ऐसी दादागिरी की। एच.पी.सी.एल. की सरकारी हिस्सा–पूंजी को खरीदने के लिए ओ.एन.जी.सी. को करीब 25,000 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा।

**इन तेल कंपनियों की मानव संसाधन परिसम्पत्तियाँ**

बी.पी.सी.एल. के पास विषाल मानव संसाधन परिसंपत्तियां हैं। उसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या करीब 12,000 है। जबकि नियमित रूप से ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या करीब 20,000 है। इसी तरह एच.पी.सी.एल. में स्थायी कर्मचारियों की संख्या करीब 11,000 है और नियमित रूप से ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या करीब 31,000 है। सार्वजनिक क्षेत्र की ये दोनों ही तेल कंपनियां देष भर में अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं।

**सार्वजनिक क्षेत्र के इन उनक्रमों में रोजगार सृजन**

रोजगार मुहैया कराने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान निजी क्षेत्र से बहुत–बहुत ज्यादा है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011–12 की श्रम तथा रोजगार रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने करीब एक करोड़ 76 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जबकि निजी क्षेत्र ने सिर्फ 1 करोड़ 19 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया।

इसके अलावा रोजगार सुरक्षा , मुआवजा पैकेज और कार्यस्थल पर जनतांत्रिक माहौल के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता को देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहीं बेहतर हैं।

**तेल व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ/आरआइएल-आरामको को लाभ**

यह बेहद चिंता का विषय है कि विदेशी दिग्गज निजी तेल तथा गैस कंपनियां पहले ही सरकार की मदद से भारतीय तेल तथा पैट्रोलियम व्यापार में घुसपैठ कर चुकी हैं। हाल ही में फ्रांसीसी दिग्गज तेल कंपनी टोटल एस ए ने अडानी गैस में 37.4 :हिस्सा–पूंजी का अधिग्रहण किया। अडानी गैस विकासशील आयात टर्मिनलों के अलावा कंप्रैस्ड प्राकृतिक गैस ऑटोमोबाइलों और पाइप से कुकिंग गैस परिवारों को बेचती है। इसके अलावा पैट्रोल स्टेशनों की उसकी अपनी एक श्रंखला है।

सरकार के कहने पर तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने कच्चे तेल के उत्खनन तथा उत्पादन में साथ–साथ काम करने के लिए अमरीका की दिग्गज पैट्रोलियम कंपनी एक्सोन–मोबिल के साथ गत 14 अक्टूबर 2018 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह बी पी प्लेक ने तेल तथा गैस ब्लॉकों में काम करनेवाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में 30 :हिस्सा पूंजी हासिल कर ली है। इसके अलावा उन्होंने देशभर में 5,500 फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम भी शुरू किया है। रिलायंस ने यह भी घोषणा की है कि सऊदी अराम्को गुजरात में रिलायंस की पूर्ववर्ती रिफाइनिंग तथा पैट्रोकैमिकल परिसंपत्तियों में करीब एक लाख करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी को अधिग्रहित किए जाने की योजना बना रही है। इस वर्ष की शुरूआत में कनाडा आधारित ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने रिलायंस की घाटे में चलनेवाली ईस्ट–वेस्ट पाइपलाइन को 13,000 करोड़ रु0 में खरीद लिया।

इसके अलावा देश के तेल क्षेत्र में सऊदी की दिग्गज तेल कंपनी अराम्को को कर्नाटक के पादुर में देश के ''रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार'' में करीब 46 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए रणनीतिक प्रवेश दिया गया है। इस कदम से रिलायंस–अराम्को गठजोड़ को रणनीतिक लाभ मिलना और आइ ओ सी को नुकसान होना तय है।

**प्रतिकूल परिणाम**

- इनकी राष्ट्रीय संपदा को घरेलू तथा विदेशी दोनों ही तरह की विराट निजी तेल कंपनियों के हवाले करना साफ तौर पर मौजूदा सरकार द्वारा देश तथा उसकी जनता के साथ विश्वासघात करने की कार्रवाई है। रिलायंस की मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता 62 एम.एम.टी.ए है। अगर बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. की रिफाइनरियां रिलायंस को मिल जाती हैं तो रिलायंस की कुल रिफाइनिंग क्षमता एकदम से बढकर करीब 120 एम.एम.टी.ए हो जाएगी और इससे जाहिर है कि रिलायंस हमारे देश की निर्णायक रूप से एक प्रमुख तेल कंपनी बन जाएगी। इसी तरह से बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. दोनों के ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में स्थापित पैट्रोल पंपों का विशाल सेल्स नेटवर्क, जिसकी संख्या करीब 30,500 है, एक बार अगर रिलायंस के हाथ में आ गया तो तेल तथा पैट्रोलियम व्यापार के मार्केटिंग क्षेत्र का नियंत्रण निर्णायक रूप से निजी क्षेत्र अर्थात रिलायंस के हाथ में आ जाएगा।
- अब यह जनहित में बेहद जरूरी है कि आज भारतीय फ्यूल मार्केटिंग व्यापार का जो 75% से ज्यादा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल कंपनियों–आइ ओ सी एल, बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के नियंत्रण में है, उस ताकत के आधार पर ईंधन की कीमतों को तय करने की व्यवस्था के नियंत्रणमुक्त होने पर भी सरकार के पास तेल की कीमतों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने का अवसर सरकार के पास रह जाता है। लेकिन एक बार नियंत्रण की पूरी ताकत रिलायंस को सौंपकर बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. अगर पूरी तरह निजीकरण हो गया तो बड़ी आसानी से यह कल्पना की जा सकती है कि देश में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें किस तरह से आसमान छूने लगेंगी।
- ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा अर्थव्यवस्था दोनों के ही लिहाज से भारत के रणनीतिक महत्व पूरी तरह से भारत तथा विदेश की निजी विराट तेल कंपनियों के संयुक्त नियंत्रण में चला जाएगा।
- इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेल कंपनियां ''कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'' (सी एस आर) के तहत स्वास्थ्य सेवाओं, पीने के पानी, साफ–सफाई, शिक्षा, सडकों के निर्माण, बिजली तथा अन्य किस्म के बुनियादी ढ़ांचे जैसी जनता और समाज के हितवाली विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च करती हैं। भारत सरकार की ''स्वच्छ भारत'' योजना की फंडिंग का पूरा जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर है। इसके उलट निजी क्षेत्र सी.एस.आर. की अवधारणा के ही पूरी तरह खिलाफ है, कल्याणकारी कार्य करने की तो बात ही दूर है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों तेल कंपनियों में ठेका मजदूरों समेत जितने कर्मचारी काम करते हैं, निजीकरण की स्थिति में हो सकता है, उन्हें अपने रोजगार से हाथ ही धोना पड़े। इसके कारण स्पष्ट हैं: (अ) वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता की ओट में श्रम कानूनों में मालिकों के हक में जिस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं, उनके जरिए सरकार मालिकों को ''हायर एंड फायर'' की निरंकुश शक्तियां दे देगी, (ब) सुदीर्घ संघर्षों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का जो स्तर हासिल कर लिया है, बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी, (स) ये निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां सिर्फ तय अवधिवाले ठेका मजदूर ही रखती हैं और उन्हें बेहद कम वेतन देती हैं अर्थात वहां स्थायी मजदूरों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, (डी) इन निजी कंपनियों की श्रमशक्ति संबंधी नीति यह है कि ''कम श्रमशक्ति और काम का बोझ भारी''।

**तेल क्षेत्र के मजदूरों के निजीकरणविरोधी संघर्ष**

वर्श 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एन डी ए) की अटल बिहार वाजपेयी के नेतृत्ववाली तत्कालीन सरकार ने भी बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. का निजीकरण करने के कदम उठाए थे। तब रिलायंस इंडस्ट्रीज, युनाइटेड किंगडम की बी पी, कुवैत पैट्रोलियम, मलेशिया की पैट्रोनास, शेल–सऊदी अराम्को गठजोड़ और एस्सार ऑयल ने इन दोनों तेल कंपनियों को पूरी तरह से खरीदने के लिए ''एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट'' दाखिल किए थे। तत्कालीन सरकार ने भी आइ ओ सी एल की संपूर्ण मार्केटिंग व्यवस्था को निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय ले लिया था। तथापि बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के मजदूरों की हड़ताल की कार्रवाइयों के बहुविध दबाव के तहत सरकार के इस कदम को मात दे दी गयी थी। सबसे पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम

तेल कंपनियों के मजदूरों ने ऐतिहासिक हड़ताल की और फिर विपक्षी पार्टियों ने संसद में जबर्दस्त हस्तक्षेप किया और जाहिर है फिर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की।

इसके बाद मौजूदा एन डी ए सरकार ने 2016 में एक षड्यंत्र रचा जिसका एक मात्र उद्देश्य निजीकरण था। उसने संसद में निरस्तीकरण तथा संशोधन कानून 2016 पारित किया ताकि उन 187 कानूनों को रद्द किया जा सके जो उसके अनुसार बेकार और अनावश्यक थे। इनमें 1976 का वह कानून भी था जिसके जरिए पूर्ववर्ती बर्मा शैल का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

इस तरह सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया जिसके जरिए कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस तरह इसे निजी तथा विदेशी फर्मों को बेचने से पहले संसद की अनुमति हासिल करने की जरूरत ही खत्म कर दी।

**तेल मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन तथा हड़ताल**

गत 26 अक्टूबर को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मजदूरों की एक संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन मुंबई में हुयी, जिसमें ओ.एन.जी.सी., आइ.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. तथा गेल के मजदूरों ने भाग लिया। सीटू, एटक, इंटक और भारतीय कामगार सेना के राष्ट्रीय नेताओं ने इस कन्वेंशन को संबोधित किया।

इस कन्वेंशन ने अभियानों, आंदोलनों और कार्रवाइयों की एक सुदीर्घ श्रंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। ये तमाम कार्रवाइयां आगामी 28 नवंबर को बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के मजदूरों की एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल में अपने उत्कर्ष पर पंहुचेंगी।

इसके अलावा आगामी 20 नवंबर को नयी दिल्ली में एक और राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रही है, जिसमें भागीदारी और ज्यादा व्यापक होगी। इससे पहले 9 नवंबर को नयी दिल्ली में ही एक उत्तर क्षेत्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया जिसमें हड़ताल की तैयारियों पर जोर रहा। इसके साथ ही साथ 20 नवंबर की राष्ट्रीय कन्वेंशन की तैयारियों पर भी चर्चा हुयी।

इस बीच बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के मजदूरों के स्थानीय स्तर के संघर्श जारी हैं। ये संघर्ष मुख्यतः मुंबई, कोच्ची, विषाखापट्टनम तथा नुमालीगढ़ (असम) में चल रहे हैं। इन संघर्षों में जबर्दस्त लामबंदियां सामने आ रही हैं और मजदूरों के प्रतिनिधि सरकारों तथा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केरल के मुख्यमंत्री पहले ही गत 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को यह आग्रह करते हुए पत्र लिख चुके हैं कि बी.पी.सी.एल. के निजीकरण के कदम को छोड़ दिया जाना चाहिए।

यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी ''असम समझौते'' के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के तहत स्थापित की गयी थी। जाहिर है निजीकरण के इस कदम के खिलाफ असम की जनता के विभिन्न तबकों में भारी रोष है और वे इस कदम का विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठन और स्थानीय लोग रिफाइनरी के गेट पर और जिले के डी एम कार्यालय के समक्ष अलग–अलग विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं। नुमालीगढ़ एंप्लाइज यूनियन विभिन्न आंदोलनों का आयोजन कर रही है।

आगामी 20 नवंबर को नयी दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय कन्वेंशन और बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. के मजदूरों द्वारा आगामी 28 नवंबर को की जा रही देशव्यापी हड़ताल, कारपोरेट के कब्जेवाली मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की रणनीतिक महत्ववाली तेल कंपनियों, जिनका भौतिक तथा वित्तीय प्रदर्शन का शानदार रिकार्ड रहा है, को भारतीय तथा विदेशी निजी तेल कंपनियों के हवाले करने के निर्णय के खिलाफ जारी विरोध को एक जबर्दस्त उछाल देंगी।

# मुम्बई में तेल मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

26 अक्टूबर, 2019 को मुम्बई में हुए तेल व पेट्रोलियम मजदूरों के एक राष्ट्रीय कन्वेशन में ओ.एन.जी.सी., आइ.ओ.सी., ओ.आइ.एल., बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. में अलग–अलग सम्बद्धताओं की यूनियनों के 350 प्रतिनिधि शामिल हुए। सीटू, एटक, इंटक और भारतीय कामगार सेना के राष्ट्रीय नेताओं ने संबोधित करते हुए बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का समर्थन किया।

सीटू के सचिव स्वदेश देव रॉय ने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. के निजीकरण के कदम के विरुद्ध; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ तथा कार्रवाईयों की योजना के बारे में कन्वेंशन का घोषणापत्र प्रस्तुत किया। सभी वक्ताओं ने घोषणापत्र का समर्थन करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की के उपक्रमों का निजीकरण किये जाने के कदम का कड़ा विरोध किया। कन्वेंशन ने तेल व पेट्रोलियम क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के मजदूरों से एकजुटता कार्रवाईयों की अपील की। कन्वेंशन ने 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच से भी समर्थन की अपील की।

कन्वेंशन ने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. की देशव्यापी कार्रवाईयों का कार्यक्रम पारित किया जिसमें हड़ताल से पहले अभियान व लामबन्दी; 11–17 नवम्बर तक अखिल भारतीय विरोध सप्ताह; 20 नवम्बर को दिल्ली में कहीं बड़ा व व्यापक राष्ट्रीय कन्वेंशन; 26 नवम्बर को सभी प्रतिष्ठानों के समक्ष दिन भर का धरना तथा 28–29 नवम्बर को 6 से 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल शामिल हैं।

# नई दिल्ली में राष्ट्रीय कन्वेंशन

20 नवम्बर को नई दिल्ली में हुए तेल व पेट्रोलियम मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में उत्पादन, शोधन, पाइपलाइनों तथा मार्केटिंग में लगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों ओएनजीसी, ओआइएल, गेल, आइओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा एमआरपीएल के असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थित प्रतिष्ठानों के मजदूरों के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। तेल पीएसयू में तीन राष्ट्रीय फेडरेशनों – एआइपीडब्ल्यूएफ, एनएफपीडब्ल्यू व पीजीडब्ल्यूएफआइ के महासचिवों – आइ.एम. उनियाल, एन.ए. खानविलकर व नोगेन चुतिया ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की व सम्बोधित किया।

कन्वेंशन का उद्घाटन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. संजीवारेड्डी ने तथा उटक महासचिव अमरजीत कौर ने सम्बोधित किया। कन्वेंशन को सम्बोधित करने वाले सांसदों में ई. करीम, के.के. रागेश, के. सोमप्रसाद तथा ए.एम. आरिफ {सीपीआइ (एम)}; बिनॉय विश्वम (सीपीआइ); हिबी ईडन (काँगेस) तथा अनिल देसाई व गजानन किरतीकार (शिव सेना) शामिल थे।

कन्वेंशन का घोषणापत्र सीटू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने पेश किया। जिस पर 15 प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा में भाग लेने के उपरान्त सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इस कन्वेंशन ने 26 अक्टूबर के मुम्बई के घोषणापत्र का पूर्ण रुप से अनुमोदन किया जिसमें 24 घंटे की हड़ताल समेत अन्य कार्यक्रम शामिल थे। बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा एमआरपीएल की 21 यूनियनों द्वारा हड़ताल नोटिस दिया जा चुका था।

कन्वेंशन ने तय किया कि ओएनजीसी, ओआइएल, गेल, आइओसीएल, बालमर लाम्वरी, पवन हंस में तेल क्षेत्र के अन्य मजदूर बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा एमआरपीएल के मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में एकजुटता स्वरुप 28 नवम्बर को काला बिल्ला लगायेंगे तथा गेट मीटिंगें व प्रदर्शन करेंगे।कन्वेंशन में यह भी फैसला किया गया कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशनों के द्वारा 30 सितम्बर के संयुक्त जन कन्वेशन के फैसले के अनुरुप 8 जनवरी 2020 की मजदूरों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का पूरा समर्थन किया जायेगा। 21 दिसम्बर को हड़ताल का नोटिस दिया जायेगा, तेल व पेट्रोलियम मजदूरों के बीच जन अभियान तथा प्रदर्शनों के कार्यक्रम 16–20 दिसम्बर के बीच किये जायेंगे। अगला राष्ट्रीय कन्वेंशन 22 दिसम्बर को कोलकाता में किया जायेगा तथा 8 जनवरी की हड़ताल के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।

# केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सीपीएसयू के निजीकरण की निंदा की; मजदूरों द्वारा संयुक्त विरोध व प्रतिरोध का आह्वान किया

10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों– इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एटक, टीयूसीसी, सेवा, एक्टू, यूटीयूसी व एलपीएफ ने 21 नवम्बर को जारी एक बयान में बीपीसीएल, कोनकोर व शिपिंग कारपोरेशन की रणनीतिक बिक्री के द्वार; एनटीपीसी को टीएचडीसी व नीरको ये सरकार के शेयरों को खरीदने के निर्देश के जरिये; तथा आइओसी, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रानिक्स, बीईएमएल, इंजीनियरिर्स इंडिया, गेल व नाल्को में सरकार के हिस्से को बेचने और इस प्रकार भारत के आर्थिक नक्शे से बेहतरीन ढंग से चल रहे और वित्तीय रुप से मजबूत केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएमयू) को हटा देने के मोदी सरकार के विनाशकारी फेसले की निंदा की। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार से फेसले को वापस लिये जाने की माँग की है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 28 नवम्बर की बी.पी.सी.एल. के मजदूरों की हड़ताल को पूर्ण समर्थन देते हुए सभी मजदूरों से आह्वान किया है कि वे संबद्धताओं से ऊपर उठकर हड़ताली बी.पी.सी.एल. मजदूरों के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाईयां आयोजित करें; तथा सरकार की निजीकरण की नीति को पलटने के लिए सी पी एस यू यूनियनों/फेडरेशनों के संयुक्त मंच को सक्रिय करें।

## सड़क परिवहन

# तेलंगाना सड़क परिवहन मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

**के.के. दिवाकरन**

एक सनसनीखेज कदम के तहत तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टी एस आर टी सी) के कुल 49,190 मजदूरों में से 48,000 मजदूरों को बर्खास्त करने की तब घोषणा कर दी जब लम्बे समय से लंबित अपनी मांगो को पूरा किये जाने

की मांग करते हुए सभी यूनियनों के आह्वान पर 5 अक्टूबर, 2019 को मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी। हाईकोर्ट ने भी हड़ताल को गैरकानूनी ठहराने से इंकार कर दिया। 15 नवम्बर तक हड़ताल को 42 दिन पूरे हो चुके थे और राज्य सरकार के अडियल रुख के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई थी। किसी भी पैमाने पर यह एक ऐतिहासिक व शानदार हड़ताल है। हड़ताल के समर्थन में सारे देश में सड़क परिवहन मजदूरों द्वारा एकजुटता कार्रवाईयॉ आयोजित की गई है।

**हड़ताल क्यों?**

हड़ताली यूनियनें टी एस आर टी सी के सरकार में विलय की माँग कर रही हैं जैसा कि पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश में किया गया है। टी एस आर टी सी मजदूरों को सेवानिवृत्ति के एक साल बाद भी सेवा निवृत्ति लाभ नहीं दिया गया। भविष्य निधि के मजदूरों के वैधानिक लाभ की राशि का इस्तेमाल टी आर सी के द्वारा कर लिया गया। मजदूर एक सहकारी समिति चला रहे है। प्रबंधान द्वारा मजदूरों के मासिक सहयोग की काटी गई राशि को कारपोरेशन द्वारा सहकारी समिति को नहीं दिया गया है।

सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए यात्रियों के अलग–अलग तबकों को घोषित की गई छूटों की राशि को निगम को नहीं दिया गया। मजदूरों का वेतन पुनर्निधारण अप्रैल 2017 से लंबित है। हालांकि,पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 हजार मजदूर सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुतों का निधन हुआ है फिर कोई नई भर्ती नहीं की गई है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा नियमित प्रबंध निदेशक तक नियुक्त नहीं किया गया है। कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष करने, समेत अन्य लाभों व आर टी सी के लिए बजटीय प्रावधान की माँग कर रहे है।

आर टी सी के घाटे की मुख्य वजहें सरकार द्वारा आर टी सी पर थोपी गई विभिन्न सबिसिडयों के चलते कारपोरेशन को होने वाले नुकसान की सरकार द्वारा भरपाई न किया जाना; केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने के कारण डीजल की कीमतों का बढ़ना ; जी एस टी का लगाया जाना व केन्द्र व राज्य सरकार में इसका बंटवारा आदि हैं। सरकार ने अभी तक 2400 करोड़ रुपये का बकाया टी एस आर टी सी को नहीं दिया है तथा कारपोरेशन पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए डीजल पर टैक्स को कम करने के वादे को भी पूरा नहीं किया है।

टी एस आर टी सी में लगभग 95 प्रतिशत सेवायें राष्ट्रीयकृत रुटों पर संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के रुप में कार्य करने के लिए टी एस आर टी सी में निजी बसें लायी जायेंगी तथा आर टी सी में आधी बसें निजी होंगी। सरकार की असली मंशा नये मोटर वाहन अधिनियम के बाद बस रुटों का निजीकरण करने की है। यूनियनों द्वारा आर टी सी एक्ट, 1950 के तहत वित्तीय मद्द की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि ए पी एस आर टी सी को दो हिस्सों में बांटने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी की जरुरत नहीं है।

क्या हड़ताल गैरकानूनी है या अचानक की गई? नहीं। यूनियनें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कारपोरेशन व सरकार से लगातार धैयेपूर्वक अपील करती आ रही थीं। उन्होंने हड़ताल से पूर्व कितने ही शांतिपूर्ण आंदोलन किये। एक यूनियन ने मत के द्वारा मजदूरों की राय ली। 98 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल के पक्ष में राय दी और अन्य यूनियनों पर हड़ताल का आह्वान करने के लिए दबाव दिया। कोई और विकल्प न रहने पर,तीन यूनियनों ने एक संयुक्त कार्यवाही समिति बनायी तथा कानून के प्रावधानों के अनुरुप हड़ताल का नोटिस दिया। कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बातचीत व श्रम विभाग की समाधान की प्रक्रिया असफल हो गयी थी। अंततः हड़ताल का नोटिस दिये जाने के 30 दिन बाद यूनियनों ने 5 अक्टूबर से हड़ताल का आह्वान किया।

**हड़ताल**

तेलंगाना में सड़क परिवहन मजदूरों की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 48,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर हैं। चूंकि आपात चिकित्सकीय देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए यूनियनों ने मेडिकल स्टॉफ को हड़ताल से बाहर रखा है। इस हड़ताल ने भारत में किसी भी जगह पर हुई सभी परिवहन मजदूरों की तमाम हड़तालों को पीछे छोड़ दिया है।

संयुक्त संघर्ष समिति पिछले कई महीनों से सरकार के सामने मुद्दों को उठा रही थी। चूंकि सरकार न कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए जेएसी ने 6 सितम्बर को हड़ताल का नोटिस दिया और सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते जेएसी हड़ताल पर जाने को विवश हुई।

सरकार, कारपोरेशन को घाटे के लिए दोष दे रही है और मजदूरों पर काम का बोझ बहुत बढ़ा दिया गया। लगातार बढ़ती इन समस्याओं और सरकार तथा कारपोरेशन के अड़ियल रवैये के कारण मजदूर हड़ताल पर जाने को विवश हुए। चूंकि सरकार ने

कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 11 नवम्बर तक परमिट जारी नहीं किये जायेंगे और उससे पहले हड़ताल का समाधान किया जाये।

सरकार टीएसआरटीसी के घाटे के लिए मजदूरों को दोषी ठहरा रही है और मजदूरों की जायज माँगों, जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचलने पर उतरी हुई है। राज्य सरकार ने हड़ताल को तोड़ने के लिए ज्वायंट एक्शन कमेटी के संयोजक, तेलंगाना स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) के महासचिव तथा सीटू के राज्य पदाधिकारी वी.एस. राव व जेएसी के अन्य दो संयुक्त संयोजकों की गिरफ्तारी समेत दमनकारी व सत्तावादी तरीकों को अपनाया है।

**राज्यव्यापी समर्थन**

सभी विपक्षी दल व बड़े पैमाने पर लोग हड़ताली मजदूरों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने राज्य में 19 अक्टूबर को आम हड़ताल का आह्वान किया था।

सीटू तथा ऑल इंडिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआइआरटीडब्ल्यूएफ) मुख्यमंत्री के तानाशाही पूर्ण रवैये तथा सरकार द्वारा अपनाये गये दमनकारी कदमों की कड़ी निन्दा करते हुए मजदूरों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले को वापस लेने तथा जायज माँगों के समाधान के लिए हड़ताली यूनियनों के साथ बातचीत करने की माँग की।

12 अक्टूबर को जेएसी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल सीपीआइ(एम), सीपीआइ, काँग्रेस, बीजेपी, तेलंगाना जन समिति व टीडीपी नेताओं ने आरटीसी मजदूरों पर टीआरएस सरकार की कार्रवाई की भर्त्सना की और 13 अक्टूबर को सड़कों पर खाना पकाकर सामूहिक दोपहर के भोजन, 14 अक्टूबर को बस डिपुओं के सामने विरोध व जन सभायें; 15 अक्टूबर को रास्ता रोको व मानव श्रंखला बनाने तथा 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद समेत विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला लिया। इसके साथ ही राजनीतिक दलों, राज्य सरकार कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, वकीलों के कुछ तबकों, छात्र संघों ने भी हड़ताल व बंद को अपना समर्थन दिया।

**तेलंगाना बंद**

टीएसआरटीसी कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा शनिवार को आहुत सुबह से शाम तक के राज्य बंद से राजधानी में जन–जीवन ठप्प हो गया। तेलंगाना में वारंगल, करीम नगर, व मेडक जैसे जिलों में बंद के चलते सामान्य जन–जीवन प्रभावित हुआ। बंद को छात्रों, कर्मचारियों समेत अन्य तबकों का व्यापक समर्थन मिला। 12 घंटे का बंद सुबह 5 बजे ज्यादातर बस डिपुओं पर भारी सुरक्षा के बावजूद शुरु हुआ।

लगभग 50,000 ओला व उबर टैक्सी चालकों ने भी अपनी माँगों के साथ हड़ताल में हिस्सा लिया। उनकी माँगों में किराये में बेहतर हिस्सेदारी तथा कैब चालकों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने की माँगे शामिल थीं।

टीएसआरटीसी की हड़ताल व राज्य बंद के मद्देनजर सरकार ने 21 अक्टूबर, सोमवार तक स्कूल–कालेजों को बंद करने की घोषणा की थी। पुलिस ने सुबह–सुबह लगभग 40 यूनियन नेताओं को व समर्थकों को अहतियातन हिरासत में ले लिया था। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर धरना व पिकेटिंग करते हुए बहुत से राजनैतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। एआइआरटीडब्ल्यूएफ ने, सरकार द्वारा 9 नवम्बर को हैदराबाद में शन्तिपूर्ण लामबंदी को गड़बड़ाने के लिए की गयी तेलंगाना आरटीसी यूनियना नेताओं, कार्यकर्ताओं व मजदूरों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों की कड़ी निन्दा की। पुलिस ने नेताओं, छात्रों व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया परन्तु बंद सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

**देशव्यापी एकजुटता कार्रवाईयां**

के.के. दिवाकरन, एआइआरटीडब्ल्यूएफ के एक दूसरे नेता ए.पी. अनबझागन के साथ हड़ताली मजदूरों के साथ खड़े होने के लिए तुरन्त हैदराबाद पहुंचे। वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए आरटीसी मजदूरों के परिवारों से भी मिलने गये। एआइआरटीडब्ल्यूएफ ने मजदूरों की मदद के लिए एकजुटता फंड भी इकट्ठा किया।

सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए.के. पद्मनाभन स्वयं 18 अक्टूबर को हैदाबाद गये और हड़ताली यूनियन नेताओं से मिलकर सीटू का समर्थन देते हुए जेएसी नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। सीपीआइ(एम) की केन्द्रीय समिति ने टीआरएसटीसी की हड़ताल के समर्थन में राज्यव्यापी बंद को अपना समर्थन दिया।

केरल के सभी 14 जिलों में अलग–अलग केन्द्रों पर सड़क परिवहन मजदूरों द्वारा तेलंगाना के सड़क परिवहन मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में विशाल प्रदर्शन व रैलियां आयोजित कीं। 78 स्थानों पर हुए एकजुटता कार्यक्रमों में 8000 से ज्यादा मजदूरों ने भाग

लिया। केरल रोड़ ट्रान्सपोर्ट एम्पलाईज एसोसिएशन, बस फेडरेशन, गुडस् लॉरी वर्कर्स, एलएमवी वर्कर्स, ड्राइविंग स्कूल वर्कर्स आदि ने भी अपनी ओर से कार्यक्रम आयोजित किये। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स रैली निकाली गई। आंध्र प्रदेश में सड़क परिवहन मजदूरों के द्वारा रैली आयोजित की गई। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, असम समेत सीटू की अन्य राज्य कमेटियों ने रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों व जन सभाओं आदि के माध्यम से टीएसआरटीसी मजदूरों की एकजुटता में कार्यक्रम आयोजित किये।

**उच्च न्यायालय का दखल**

16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह यूनियन नेताओं से बात करे और इस बारे में 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट दे। कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि बातचीत संभव नहीं जिस पर कोर्ट का कहना था कि चूंकि 45 माँगों में से 50% का कोई वित्तीय असर नहीं है इसलिए सरकार हड़ताली मजदूरों को सुनने व उनसे बात करने से मना नहीं कर सकती है। राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सभी 49,990 कर्मचारियों को 21 अक्टूबर तक सितम्बर के वेतन का भुगतान करे।

यह दोहराते हुए कि उसके पास राज्य सरकार को टीउसआरटीसी के हड़ताली कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के निर्देश देने की शक्ति नहीं है तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 12 नवम्बर को प्रस्ताव दिया कि संकट का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जाये। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह प्रस्ताव करते हुए राज्य सरकार से उसकर प्रतिक्रिया माँगी। राज्य सरकार ने इसका नकारात्मक जबाव दिया।

**मजदूर मर रहे हैं**

सरकार के इस उकसावे पूर्ण व अत्यंत अडियल रवैये के कारण 5 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली; 11 मजदूरों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी है, मजदूरों के 5 परिजनों की मौत हो गयी है। अब तक कुल 21 मौतें हो चुकी हैं।

टीआरएस सरकार की दमन की कार्रवाई टीएसआरटीसी मजदूरों के लिए खतरा बन गई है और मजदूर वर्ग व आम जनता की यह जिम्मेदारी है कि इसे परास्त किया जाये।

*(के.के. दिवाकरन सीटू के राष्ट्रीय सचिव व ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के महासचिव हैं)*

# तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश

8 नवम्बरः **निजीकरण पर स्थगन**

टीआरएस सरकार जो अपने ही सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ अघोषित युद्ध में है, को एक बड़ा झटका लगा है; तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 5,100 बस मार्गों के निजीकरण के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगा दी।

कैबिनेट ने 5,100 बस मार्गों का निजीकरण करने का फैसला किया और यह भी धमकी दी थी कि यदि कर्मचारी 5 नवंबर तक ड्यूटी पर नहीं आये तो सरकार सभी मार्गों का निजीकरण करेगी।

मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो 1 सितंबर को लागू हुआ है, का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों के पास सार्वजनिक परिवहन का निजीकरण करने का अधिकार है।

सभी हड़ताली टीएसआरटीसी यूनियनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि यह मजदूरों की पहली जीत थी।

11 नवम्बरः **हड़ताल को गैर–कानूनी घोषित करने से न्यायालय का इंकार**

अगले सोमवार को टीएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के विभिन्न पहलुओं पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा, "हम टीएसआरटीसी कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल को अवैध घोषित नहीं कर सकते।" "हम अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकते। कानून के उन प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए, जो उच्च न्यायालय को हड़ताल को अवैध घोशित करने में सक्षम बनाता है" बेंच ने कहा कि "भले ही सार्वजनिक हित शामिल हो, उच्च न्यायालय को कानून के दायरे में कार्य करना होगा"। न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले में आदेश देने की शक्तियां हैं, जो उसके समक्ष लंबित हैं। उच्च न्यायालय के पास वैसी शक्ति नहीं है।

यह याद रहे कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हड़ताल, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हुई, को अवैध बताते हुए आह्वान किया था और यह कि 48,000 आरटीसी कर्मचारी, अगले ही दिन राज्य सरकार द्वारा तय समय सीमा में अपनी ड्यूटी पर नहीं आये थे।

12 नवम्बरः **सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जजों की 3 सदस्यीय समिति के गठन के लिए**

अगले मंगलवार, 5 अक्टूबर से पूरे तेलंगाना राज्य में 48,000 से अधिक टीएसआरटीसी मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के 39वें दिन, हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ''हड़ताल के मुद्दे को सुलझाने के लिए'' और हड़ताली यूनियनों की जेएसी, टीएसआरटीसी प्रबंधन और सरकार के साथ चर्चा करके पूरे राज्य की जनता के समक्ष परिवहन संकट का हल निकालने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।

सभी हड़ताली यूनियनों की जेएसी ने अदालत के निर्देश के साथ निःसंकोच सहमति व्यक्त की, जबकि तेलंगाना सरकार के महाधिवक्ता ने अगले दिन शाम तक जवाब प्रस्तुत करने से पहले सरकार से परामर्श के लिए समय माँगा।

13 नवम्बरः **कर्मचारियों की सहकारी समिति को रु० 200 करोड़ का भुगतान करो**

अगले बुधवार को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वामित्व वाले टीएसआरटीसी को छह सप्ताह के अंदर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी बचत क्रेडिट सहकारी समिति के खाते में 200 करोड़ रुपये जमा करने का एक और आदेश पारित किया।

न्यायालय ने उक्त सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि सोसायटी अपने 50,000 सदस्यों से फीस एकत्र करती है और अपने सदस्यों को उनकी जरूरतों के अवसर पर ऋण देती है। आरटीसी इन राशियों को कर्मचारियों के वेतन से काटता है और फिर इन राशियों को सोसायटी के खाते में स्थानांतरित करता है। जबकि आरटीसी प्रबंधन ने पिछले कई वर्षों से कटौती की गई राशि को स्थानांतरित करना बंद कर दिया और इन राशियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया। सोसायटी ने अब पूरी बकाया राशि के भुगतान का दावा किया है, जो अब रु० 530 करोड़ है।

# रेलवे

## रेलवे निजीकरण के कदम के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन

## बिहार में युवाओं ने रेल पटरियों को अवरुद्ध किया

25 अक्टूबर को, भारतीय रेलवे के ट्रेनों, स्टेशनों और उत्पादन इकाइयों के निजीकरण के मोदी सरकार के कदम के खिलाफ विरोध; राष्ट्रीय राजधानी को पूर्वी भारत के साथ जोड़ने वाले प्रसिद्ध रुट पर बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों नौजवानों, मुख्यतः छात्रों ने, नारेबाजी करते हुए, तख्तियां और बैनर लेकर, कार्यालयों में घुसकर और रेल पटरियों को 4 घंटे से अधिक समय के लिए अवरुद्ध कर दिया।

उन्होंने *'रेलवे का निजीकरण बन्द करो' 'रेलवे जनता का सम्पत्ति है' 'रेलवे को बेचना बन्द करो'* आदि नारे लगाए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि सरकार भारतीय रेलवे के निजीकरण के कदम को आगे बढ़ाती है, तो वे राज्य भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन को तेज करेंगे।

जिलाधिकारी और एसपी द्वारा, केंद्र सरकार को उनके ज्ञापन को आगे बढ़ाने के कुछ आश्वासन के बावजूद युवाओं ने विरोध खत्म नहीं किया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई युवाओं को घायल कर दिया। सासाराम रेलवे स्टेशन को एक किले के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारी सशस्त्र बल तैनात किए गए थे।

भारतीय रेलवे 21,617 ट्रेनों के साथ सबसे बड़ा सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर है, जिसमें प्रतिदिन 2.3 करोड़ यात्रियों को ले जाया जाता है (जिसमें विशाल बहुमत आर्थिक रूप से हाशिए पड़ी जनता है), पूरे देश में 1.15 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन 7,172 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। यह भारत की एकता का प्रतीक है।

भारतीय रेलवे सरकारी नौकरी देने वाला सबसे बड़ा भी है। जबकि, 4.5 लाख पद खाली हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं को डर है कि रेलवे के निजीकरण से सरकारी नौकरियां मिलने की उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी के अलावा रेलवे की नौकरियां सबसे अधिक माँग रहती है और रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकांश आवेदक बिहार से ही होते हैं।

*(न्यूजक्लिक से साभार)*

# निजीकरण के खिलाफ ट्रेनें रुकीं

लखनऊ से नई दिल्ली चलने वाली पहली निजी ट्रेन 'तेजस एक्सप्रेस' जो भारतीय रेलवे के सरकारी स्वामित्व वाली निगम आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही है जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर को लखनऊ में किया।

जबकि इसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करके रोका गया था।

उसी दिन उत्तर मध्य रेलवे के संभागीय कार्यालय के समक्ष बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसे तेजस एक्सप्रेस शुरू करने को ''काला दिवस'' के रूप में किया गया।

23 अक्टूबर को, आईआरसीटीसी द्वारा संचालित तेजस एक्सप्रेस के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने टुंडला रेलवे स्टेषन पर शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया।

नीति आयोग के निर्देशन में, भारतीय रेलवे के 50 रेलवे स्टेषनों और 150 ट्रेनों को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए विवरण तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। *(न्यूजक्लिक से साभार)*

# दिल्ली में निःशक्तजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन

पीटीआई से सूचना के अनुसार, रेलवे के ग्रुप डी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 300 से अधिक निःशक्तजनों ने भारतीय रेलवे के निजीकरण कदम के खिलाफ 24 अक्टूबर को नई दिल्ली के मंडी हाउस पर रैली और धरना दिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से आश्वासन की माँग की।

## भारतीय रेलवे के निजीकरण की 100 दिन की कार्य योजना

देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, रेल मंत्रालय ने 100 दिनों की कार्य योजना इस प्रकार तय की है:

**किराया वृद्धि:** 47% यात्री सब्सिडी 'इसे छोड़ने' के अभियान के साथ शुरुआत करना, जो एलपीजी सब्सिडी की तरह ही बाद में अनिवार्य कर दिया जाएगा। देबरॉय की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक किराए नहीं बढ़ाए जाते, निजी संचालक नहीं आ सकते है।

**निजी ट्रेनें:** 'महत्वपूर्ण रूटों' पर 2 ट्रेनें आईआरसीटीसी के माध्यम से निजी संचालकों को सौंपी जाएंगी, जिनमें टिकट और सेवाओं सहित कुल नियंत्रण शामिल हैं। राजस्व कमाई वाले मार्गों को निजी ऑपरेटरों द्वारा लिया जाएगा; समय सारणी उनके द्वारा तय की जाएगी; ट्रेन का किराया 'परिवर्तनीय' हो जाएगा। तेजस एक्सप्रेस को पहले ही पेश किया जा चुका है।

**उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं का निगमीकरण:** चित्तरंजन लोको वर्कस्, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (पेरम्बूर), डीजल लोको वर्कस् (वाराणसी), डीजल आधुनिकीकरण वर्कस् (पटियाला), रेल कोच फैक्टरी (कपूरथला), व्हील और एक्सल प्लांट (बेंगलुरु) और मॉडर्न कोच फैक्ट्री (रायबरेली) को निजीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए 'रोलिंग स्टॉक कंपनियों' के रूप में; 'अलगाव के साथ' कार्यशालाओं; को कॉरपोरेट किया जाएगा।

**स्टेशनों का पुनर्विकास:** स्टेशन की भूमि, भवन, टिकटिंग, पार्किंग, खानपान आदि पर पूर्ण नियंत्रण के साथ '50 स्टेशनों के पुनर्विकास' के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

# बैंक

# बैंक धोखाधड़ी कॉरपोरेट्स द्वारा; जुर्माना जनता पर

पीटीआई के अनुसार, वित्तमंत्रालय के आँकड़े दर्शाते हैं कि देष के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अप्रैल–नवंबर 2017 के दौरान रु० 3,000 के मासिक औसत बैलेंस (एमएबी) के गैर–रखरखाव के लिए ग्राहकों से, रु० 1,771.

67 करोड़ का षुद्ध लाभ कमाया, जो कि उसके दूसरे तिमाही के मुनाफे से अधिक है, एसबीआई ने 1 अप्रैल 2017 से एमएबी पर षुल्क लेना फिर से शुरु किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों (पीएसबी) और 3 प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2017–18 में अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए ग्राहकों से 5,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। दंड कमाने वाले शीर्ष 5 बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में एसबीआई और पीएनबी और निजी बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई हैं। अपने ग्राहकों से दंड वसूलने में रु० 2,443 करोड़ के साथ एसबीआई सबसे उपर है, इसके बाद एचडीएफसी ने रु० 590 करोड़, एक्सिस बैंक ने रु० 530 करोड़, आईसीआईसीआई ने रु० 317 करोड़ और पीएनबी ने रु० 211 करोड़ का संग्रह किया है।

अधिकांश खाताधारक, जो न्यूनतम शेष राशि को बनाए नहीं रख सकते, वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं और आम आदमी को दंडित करके धन का संग्रह करना, जबकि हीरा व्यापारी नीरव मोदी जैसे जालसाज सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी करने के बाद भाग गऐ हैं, यह अन्यायपूर्ण है।

पीटीआई के अनुसार एक अर्थषास्त्री ने कहा, ''एक तरफ, सरकार बैंकिंग प्रणाली के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए एक अभियान चला रही है, जबकि दूसरी तरफ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न्यूनतम शेष राशि न बनाए रख पाने के लिए बचत खातों पर शुल्क लगा रहे हैं।''

# आईटी

## सीटू ने आईटी कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी की निंदा की

6 नवंबर, 2019 को एक बयान में सीटू ने आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर छंटनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और कैपजेमिनी जैसी आईटी प्रमुख कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। कैपजेमिनी ने पहले ही लगभग 5000 कर्मचारियों को काम से अलग रखा है। बताया गया है कि कॉग्निजेंट 7000 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इन्फोसिस ने विभिन्न स्तरों पर अपने 10% कर्मचारियों को फालतू के तौर पर और 2200 को वरिश्ठ प्रबंधक के स्तर पर और सहयोगी एंव मध्य स्तर पर 4000–10000 को निकाल दिया जाएगा। ये सभी आईटी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं।

कर्मचारियों को निकाले जाने की ये कार्रवाहियां 'बिकास योजनाओं', 'पुर्नगठन', 'भूमिका युक्ति संगतीकरण' के नाम पर की जा रही हैं, जो कर्मचारियों की कीमत पर अधिकतम लाभ कमाने की कोशिशों के अलावा और कुछ नहीं है।

केंद्र की भाजपा सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें आईटी कर्मचारियों की इस अवैध सामूहिक छंटनी की मूक दर्शक बनी हुई हैं। सीटू ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से आईटी कर्मचारियों के इस अवैध छटंनी को रोकने और उनके लिए सुरक्षा के उपाय करने की माँग की।

सीटू ने आईटी कर्मचारियों के साथ अपना समर्थन और एकजुटता दोहराई और छंटनी के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध बनाने के लिए उनका आह्वान किया। सीटू ने विभिन्न राज्यों में आईटी कर्मचारियों का नेतष्त्व किया है, जो आईटी कंपनियों के इन अवैध कदमों का विरोध कर रहे हैं और धीरे–धीरे सामूहिक रूप से इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित हो रहे हैं।

सीटू ने भी अपने सभी सदस्यों और राज्य समितियों से, आईटी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अवैध रूप से छंटनी का विरोध करने और आईटी कर्मचारियों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान किया।

### विरोध प्रदर्शन

आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के खिलाफ, तमिलनाडु में आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों (यूएनआइटीइ) की यूनियन ने वेरिजोन में बड़े पैमाने पर छंटनी के खिलाफ राज्य के श्रम अधिकारियों के समक्ष विवादों को उठाया है; केरल में एआइटीइ यूनियन ने टीसीएस प्रतिष्ठानों के समक्ष प्रदर्षन का आयोजन किया; कर्नाटक आईटी कर्मचारी यूनियन (केआइटीयू) ने बैंगलोर में और कोलकाता की एआइआइटीइ ने संबंधित राज्यों में छंटनी के खिलाफ विवाद खड़े किए हैं।

आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने इन गैरकानूनी तौर तरीकों पर केंद्रीय श्रम मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और इन गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रबंधन और इसकी एसोसिएषन नैस्कॉम पर दबाव बनाने की माँग की है।

## योजना मजदूर

# आइफा का 9वाँ सम्मेलन

आंगनवाड़ी सेविका एंव सहायिका फेडरेशन (आइफा) का 9वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन 17–20 नवम्बर, 2019 तक माया ओझा मंच, पदमिनी हॉल, विमल रणदिवे नगर, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में हुआ। सीटू महासचिव तपन सेन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। स्वागत समिति की चेयरपर्सन इला वेंकटेश्वर रॉव, एम एल सी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

उदघाटन सत्र में 8 जनवरी की मजदूरो की देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन और उसमें पूर्ण भागेदारी को लेकर एक प्रस्ताव आइफा महासचिव व सीटू की सचिव ए आर सिंधु ने पेश किया जिसे ज़ोरदार तालियों के साथ पारित किया गया।

उदघाटन के बाद लाल रंग की पोशाक में कोई 10,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के दो जुलूस निकले जो सुबष्हमयम मैदान में पहुँचकर एक रैली व जन सभा में बदल गये एक अन्य जुलूस जिसमें अपने–अपने राज्यों के बैनरो के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में नारे लगाते कार्यकर्ता स्थानीय लोगों का ध्यान खींचने व प्रसंशा प्राप्त करते सभा मैदान पहुँचे। सभा के पहले प्रगतिशील मूल्यों को सामने रखता सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। जन सभा का उद्घाटन सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष के. हेमलता ने किया जिसे ए आर सिन्धु, सीटू के राज्य अध्यक्ष नरसिंहा राव व महासचिव एम ए गफूर ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन के सात सअस्यीय अध्यक्ष मंडल में सीटू की राष्ट्रीय नेता आइफा अध्यक्ष ऊषारानी व वरालक्ष्मी शामिल थीं। प्रतिनिधि सत्र में 23 राज्यों व 24 यूनियनों से 595 प्रतिनिधियों, 73 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। ए आर सिन्धु ने पिछले साढ़े तीन वर्ष के काम–काज की रिपोर्ट पेश की जिसके तीन भाग थे – नीतियों व आन्दोलन; संगठन; अन्य मेहनतकशों को संगठित करने का कार्य एवं घृणा व भेदभाव के खिलाफ अभियान।

रिपोर्ट में संगठन की मजबूती के साथ आन्दोलन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए नीतिगत मुद्दों पर आइफा के अखिल भारतीय स्वतंत्र व संयुक्त संघर्ष; स्वतंत्र व संयुक्त रुप से जुझारु आन्दोलनों के द्वारा राज्य यूनियनों द्वारा प्राप्त सफलतायें – 500–5000 वेतन वृद्धि। इस दौरान सदस्यता में 15.27% की वृद्धि हुई है लेकिन संगठन के बढ़ते प्रभाव के हिसाब से संगठन के विस्तार की बड़ी संभावनायें मौजूद हैं।

रिपोर्ट पर चर्चा में 71 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कश्मीर की प्रतिनिधि लतीफा ने सामने उपस्थित मौजूदा परेशानियों तथा आइसीडीएस के निजीकरण के विरुद्ध अपने संघर्ष की चर्चा की। जेएंडके प्रतिनिधियों का अन्य तमाम प्रतिनिधियों ने स्वागत करते हुए नारा लगाया, *''कश्मीर, एकता व जनवादी हकों के लिए संघर्ष जारी रखो, पूरा भारत तुम्हारे साथ है''।*

प्रतिनिधियों ने चर्चा में जारी संघर्षों का आत्मालोचनात्मक आकलन किया; अनुभव साझे किये; मजबूतियों व कमजोरियों की पहचान करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देते हुए रिपार्ट को समृद्ध किया।

''घृणा व भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई; विभिन्न तबकों तक पहुँचने'' के एजेन्डे पर सम्मेलन ने बच्चों के बीच प्रगतिशील मूल्यों, तर्कशीलता तथा भिन्न संस्कृतियों व रिवाजों के आदर के लिए जोर दिये जाने; तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से महिला विरोधी प्रतिगामी व भेदभावपूर्ण रिवाजों को चुनौती देने पर जोर देने की बात कही गई।

सम्मेलन ने आँगनवाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई को मजबूत करने, सीटू के 50 वर्ष मनाने, कश्मीर की जनता के समर्थन में, जेएनयू के छात्रों के संघर्ष के साथ एकजुटता, जनवादी अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध, दलित व आदिवासियों पर अत्याचारों के विरुद्ध, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचारों के विरुद्ध तथा अन्य तबकों को संगठित करने के बारे में प्रस्ताव पारित किये गये।

सम्मेलन ने काम को वैचारिक, राजनीतिक व संगठनात्मक तौर पर पुर्नरोन्मुख करने, 45वें आइएलसीकी सिफारिशों को लागू करने, सभी योजना मजदूरों ब अन्य मेहनतकशों को समान सुविधाओं; वैज्ञानिक मानस का निर्माण करने, जाति, जातीय व जैंडर आधारित भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष व साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने का संकल्प लिया।

– 5 जनवरी की मजदूरों की आम हड़ताल के लिए व्यापक अभियान व 10 लाख आँगनवाड़ी कर्मियों की भागीदारी; आगामी अकादमिक वर्ष के पूर्व प्रस्तावित 'प्री स्कूल एजूकेशन' के स्थान पर आँगनवाड़ियों में गुणवत्ता पूर्ण ईसीसीई के लिए विशेष अभियान व कार्रवाई; मार्च/अप्रैल, 2020 में 'भूख, कुपोषण, घृणा, भय व भेदभाव से बचपन को मुक्त करो' पर राष्ट्रीय कन्वेन्शन; 10 जुलाई, 2020 को संसद पर 35000 आँगनवाड़ी कर्मियों की लामबंदी; सम्मेलन व निर्णयों के बारे में 2 महीनों के अंदर राज्यों में कार्यशालाऐं, हिन्दी भाषी राज्यों में दिसम्बर में।

– सम्मेलन ने 10 सूत्री संगठनात्मक कार्य भी पारित किये जिसमें शामिल हैं : अखिल भारतीय व राज्य केन्द्रों को मजबूत करना; सहायिकाओं को नेतृत्व की भूमिक में प्रोन्नत करने के लिए विशेष योजना; 2020 में सदस्यता को 6.75 लाख तक बढ़ाना; हर स्तर पर कैडर का निर्माण व हर जिले में 25 कैडर; सभी कैडरों के लिए शिक्षा कार्यक्रम; पाठ्यक्रम का चुनाव; सीटू के 50वें वर्ष के दौरान शिक्षकों को तैयार करना; मुद्दा आधारित आन्दोलनों के लिए अन्य जन संगठनों के साथ सम्बन्धों को मजबूत करना; तथा योजना मजदूरों के अन्य तबकों को संगठित करना व समन्वय विकसित करना।

आन्ध्र प्रदेश आँगनवाड़ी यूनियन की सांस्कृतिक टोली ने अपने क्रान्तिकारी गीतों व कार्यक्रमों से प्रतिनिधियों को प्रेरित किया। तीसरे दिन शाम को कैम्प फायर के दौरान विभिन्न राज्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये।

सम्मेलन ने 25 पदाधिकारियों समेत 75 सदस्यीय सतिति का चुनाव किया जिसमें ऊषारानी को अध्यक्ष, ए आर सिन्धु को महासचिव व अंजू मैनी को कोषाध्यक्ष चुना गया।

सीटू की अध्यक्ष के. हेमलता जो आइफा की पूर्व महासचिव भी हैं पूरे सम्मेलन में उपसिति रहीं। उन्होने अपने समापन भाषण में आन्दोलन की संभावनाओं तथा विभिन्न स्तरों पर कैडर के राजनीतिकरण के महत्व पर जोर दिया।

. . . . . %) 4 मिनी वर्करों व 51 आर्गेनाइजरों ने भाग लिया। पुरुष प्रतिनिधि 26 थे। 18.11% प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, 6.34% अनुसूचित जनजाति, 31.44% ओबीसी व 5.7% मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। वर्गीय दृष्टि से 12% किसान, 29% खेतमजदूर, 23% असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे। 62% प्रतिनिधियों की पारिवारिक आय 12,000 रुपये प्रतिमाह से कम थी। आयु समूह के हिसाब से 40% प्रतिनिधि 40–40 वर्ष की उम्र के तथा 20% की आयु 40 वर्ष से कम थी। 24% प्रतिनिधि स्नातक थीं, 13 स्नातकोत्तर तथा 4 अशिक्षित थे।

# राज्यों से

## दिल्ली-एनसीआर

### दिल्ली न्यूनतम वेतन

# वेतन की अधिसूचित मूल दर के साथ वीडीए जोड़ें : सीटू

14 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एनसीटी दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को न्यूनतम वेतन *(सीटू मजदूर, नवंबर, 2019)* को अधिसूचित किया। अधिसूचित न्यूनतम वेतन 23 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी है।

23 अक्टूबर, 2019 को सरकार ने वीडीए की दो किस्तों को 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित किया और इसे 03.03.2017 के पहले अधिसूचित न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाय।

सीटू दिल्ली राज्य कमेटी ने 22 नवंबर को श्रम आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि वीडीए की इन दो किस्तों को 23.10.2019 को और प्रभावी नए न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाए। ज्ञापन में कहा गया कि सीटू दिल्ली राज्य कमेटी, उस मामले में हस्तक्षेप करने वाला पक्षकार है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है।

सीटू ने इंगित किया है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (i) के तहत (जिसे अब वेतन पर कोड में रखा गया है और कोड में न्यूनतम वेतन अध्याय के तहत यह धारा 7 (i) के रूप में दिखाई देती है), वह वेतन की मूल दर है, जिसे 5 वर्षों में कम से कम एक बार संशोधित किया जाता है, और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को जीवनयापन के मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है, जिसे हर 6 महीने में एक बार अधिसूचित किया जाता है। दोनों को एक साथ जोड़ने पर न्यूनतम वेतन बनता है।

उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रस्तुतिकरण, जैसा कि 14 अक्टूबर 2019 के आदेष में उल्लेख किया गया है कि वेतन की मूल दर की गणना 10.11.2018 को उपभेक्ता वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर की गई थी। इसके बाद, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर 2019 को वीडीए की दो किस्तें बकाया हुई। यद्यपि वीडीए की ये दो किस्तें 22.10.2019 तक मान्य पहले की वेतन की मूल दर के साथ जोड़ी गयी थीं; इन दोनों वीडीए के मूल्य को 23.10.2019 से संषोधित न्यूनतम वेतन की मूल दर में नहीं जोड़ा गया है। (23/11/2019)

# दिल्ली एनसीआर में सीटू यूनियनों की बैठक

सीटू के केंद्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद और नोएडा) की 64 यूनियनों के नेताओं और सीटू पदाधिकारियों की मीटिंग 12 नवंबर को सीटू केंद्र में हुई।

अध्यक्षता सीटू अध्यक्ष के. हेमलता ने की। बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने 8 जनवरी 2020 को मजदूरों की अखिल भारतीय आम हड़ताल की पृष्ठभूमि के बारे में बताया और एनसीआर में ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। सीटू के उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार ने औद्योगिक, आर्थिक और कानूनी संरचना और एनसीआर के ढांचे और मजदूरों की बदतर और ट्रेड यूनियनों की आम हालात के बारे में जानकारी दी।

कई यूनियनों के नेताओं और दिल्ली तथा हरियाणा के सीटू राज्य महासचिवों ने आर्थिक मंदी के कारण नौकरियाँ छिनने, मजदूरों के दमन और उम्पीड़न और राज्य सरकारों के साथ मिलीभगत से प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन अधिकारों के दमन के कारण मजदूरों की बिगड़ती स्थितियों के बारे में बताया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए महासचिव तपन सेन ने एनसीटी दिल्ली में न्यूनतम वेतन के अनुरूप पूरे एनसीआर में न्यूनतम वेतन की माँग को आम बनाऐ जाने पर जोर दिया और पूरे एनसीआर में मजदूरों के बीच इस माँग को लेकर पर्चों के माध्यम से व्यापक अभियान चलाया जाय; 8 जनवरी की हड़ताल के लिए अभियान; और कारखाना स्तर की सीटू की यूनियनों और क्षेत्र–वार/राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ सीटू की एनसीआर समन्वय समिति गठन करने का प्रस्ताव दिया।

## जम्मू व कश्मीर

# बिजली मजदूरों का आंदोलन जारी

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय शासन थोपे जाने लॉकडाउन तथा संचार को काट दिये जाने से ट्रेड यूनियन अधिकारों व आंदोलन का भी दमन हुआ है। तब भी, ऐसी परिस्थिति का बहादुरी से सामना करते हुए मजदूरों ने वहाँ अपने संघर्ष को जारी रखा है और मोदी सरकार के सशस्त्र बलों के सामने अपने हकों का समर्पण नहीं किया है। संचार व्यवस्था के कुछ बहाल होने के बाद अब ऐसे संघर्ष की कुछ खबरें आ रहीं हैं। जिन्हें जोड़कर यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

12 सितम्बर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जेएंडके पॉवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पी.डी.डी.) को केन्द्र शासित प्रदेशों– लद्दाख व जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में स्वतंत्र रुप से परिचालन के लिए तीन कंपनियों में बाँट देने का फैसला किया। प्रशासन ने कहा कि जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसा करना जरुरी था। लेकिन इसका लक्ष्य पॉवर सेक्टर में प्रमुख सुधार – ''शेष देश में पॉवर सेक्टर का निगमीकरण किया जा चुका है लेकिन जम्मू व कश्मीर यह लंबित था'' करना भी था। पी.डी.डी. सीध ो सरकार के अधीन है और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं। इसे बदलने की मंशा इसके पीछे है।

पी.डी.डी. को इस तरह अलग–थलग किये जाने के कदम का विरोध करने के लिए सभी यूनियनों ने एक समन्वय समिति गठित की; और इसके बैनर के तले कर्मचारी पिछले द्ये महीने से भी ज्यादा से हड़ताल व संघर्ष चला रहे हैं। सभी जिलों में संयुक्त प्रदर्शन किये गये हैं जिनकी शुरुआत 17 सितम्बर को श्रीनगर में चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस व आर.आइ. के दफ्तर के सामने प्रदर्शन से हुई। इसके बाद 19 सितम्बर को गुरगाव जिले में पॉवर ग्रिड स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया; 24 सितम्बर को अनंतनाग में मेंटेनेन्स व आर.आइ. आफिस पर, 25 सितम्बर को बारामूला में प्रदर्शन किया गया।

**1 नवम्बर को सभी जिलों में एक साथ प्रदर्शन किये गये। 4 नवम्बर को समन्वय समिति ने प्रबंधन को श्रीनगर में चीफ इजीनियर, मेंटेनेन्स व आर.आइ. के आफिस पर रैली करने के अपने फैसले की सूचना दी। लेकिन प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों को भेजकर रैली के स्थान की घेराबंदी करा दी और किसी को भी वहाँ पहुँचने से रोका। मजदूरों ने बिना डरे धारा 144 तोड़कर श्रीनगर की प्रेस कालोनी में रैली की।**

सरकार ने अभी तक भी कर्मचारियों के बीच पी.डी.डी. के व कर्मचारियों की भारी संख्या के भविष्य को लेकर पैठी आशंका को दूर करने या स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई चर्चा तक शुरु नहीं की है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी। *(25/11/2019)*

### छपते–छपते

## बी.पी.सी.एल. के निजीकरण के विरोध में मजदूरों ने की सफल राष्ट्रव्यापी हड़ताल

28 नवम्बर को बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. व ओ.एन.जी.सी. (एम.आर.पी.एल.) रिफाईनरीज व मार्केटिंग ऑपरेशनों के मजदूरों ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑयल एंड पट्रोलियम वर्कर्स के बैनर तले सफल राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिखा दिया कि बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. का निजीकरण करने की मोदी सरकार के कदम को रोकने के लिए मजदूरों ने कमर कस ली है। बड़ी संख्या में हड़ताल पर उतरे मजदूरों ने मोदी सरकार की धमकियों और उसके इशारे पर प्रबंधकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त निषेधाज्ञाओं की परवाह नहीं की।

कोच्चि रिफाइनरी में पूर्ण हड़ताल रही जहाँ 1250 स्थायी व 6356 ठेका मजदूर हड़ताल पर रहे। पांचों दक्षिणी राज्यों – केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना व आन्ध्रप्रदेश में बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., आइ.ओ.सी.एल. के मार्केटिंग आपरेशनों के सभी मजदूर इस हड़ताल में उतरे। टैंकर, लॉरी मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए। एम.आर.पी.एल. के लगभग 5000 स्थायी व ठेका मजदूर हड़ताल पर रहे। विशाखापट्टनम व नुमालीगढ़ (असम) स्थिति एच.पी.सी.एल. रिफाईनरीज के स्थायी व ठेका मजदूरों ने हड़ताल के समर्थन में मार्च व प्रदर्शन किये।

पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई रिफाईनरी तथा मार्केटिंग क्षेत्र में हड़ताल अभूतपूर्व रही। हजारों की संख्या में हड़ताली मजदूरों ने चेम्बूर में बी.पी.सी.एल. रिफाईनरी के गेट से रेल स्टेशन तक लाँग मार्च निकाला। हड़ताल का असर इतना था कि मुंबई के निकट उरान में एशिया के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट में काम बंद कर देना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड ,पश्चिम बंगाल, ओडिशा बिहार आदि राज्यों में फैले 45 स्थानों पर फैले बॉटलिंग प्लांटों, भंडारों तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों पर मजदूरों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया। दिल्ली व आस–पास के मजदूरों ने जंतर–मंतर पर धरना दिया जिसे सांसदों व केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने संबोधित किया।

सीटू ने अपने बयान में हड़ताल को बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. व एम.आर.पी.एल. (ओ.एन.जी.सी.) के निजीकरण की मोदी सरकार की मुहिम को रोकने के लिए पथ प्रदर्शन कदम बताया जो 22 दिसम्बर को कोलकाता में होने वाले तेल व पेट्रोलियम मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में निर्णायक कार्रवाईयों को तय करने तथा 8 जनवरी, 2020 की अखिल भारतीय आम हड़ताल में तेल क्षेत्र के मजदूरों की भारी भागेदारी सुनिश्चत करेगा।

## उत्तर प्रदेश

# बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि ट्रस्ट का पैसा; भारी घोटाला, माफिया से जुड़े हैं तार; कर्मचारियों द्वारा विरोध व हड़ताल; वसूली नहीं हुई तो सरकार देगी पैसा

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के स्थायी व ठेका मजदूरों व इंजीनियरों समेत हजारों कर्मचारियों ने अपने संयुक्त मंच विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को बैनर तले अपने परिवारों के साथ 14 नवम्बर, 2019 को यू.पी.सी.एल. के लखनऊ स्थिति मुख्यालय शक्ति भवन के सामने राज्य स्तरीय रैली निकाली व प्रदर्शन किया और नये नियुक्त हुए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक को ज्ञापन दिया। इसके बाद 45000 कर्मचारियों ने भारी पी एफ घोटाले में कार्रवाई,अपनी भविष्य निधि की सुरक्षा तथा भविष्य की सुरक्षा की माँग करते हुए 18–19 नवम्बर को 48 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल की।

यू.पी. इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 2000 में उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के रुप में निगमीकरण कर दिया गया था और पॉवर ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 सहायक कंपनियां बनाई गई थीं। यू.पी.पी.सी.एल. ने दो इन–हाऊस पी एफ ट्रस्ट स्थापित किये थे– एक कर्मचारियों के लिए जो निगमीकरण के पहले जी पी एफ में अंशदान कर रहे थे और दूसरा उन कर्मचारियों के लिए जो निगमीकरण के बाद नियुक्त होकर सी पी एफ में योगदान कर रहे थे। इसका चेयरमैन इन ट्रस्टों का भी चेयरमैन है। इसकी हर तीन महीने में बैठक होनी चाहिये लेकिन इसकी कई वर्षों से कोई बैठक ही नहीं हुई थी।

जुलाई के मध्य में यू.पी.पी.सी.एल. के पी एफ घोटाले की खबर सामने आई। एक जाँच कमेटी बनी जिसने अगस्त में अपनी रिपोर्ट देते हुए अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए यू.पी.पी.सी.एल. के उच्च अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा किया जिन्होंने फंड के 2600 करोड़ रुपये दीवान हाऊसिंग फाइनेंस में निवेश कर दिये जिसका संबध माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से बताया जाता है। ट्रस्टों को अदा किये जाने वाला 1600 करोड़ रुपया डी एच एफ एल ने जमा नहीं कराया। इस बीच बाम्बे हाईकोर्ट ने कई बदनाम कंपनियों व गड़बड़ सौदों के संदर्भ में डी.एच. एफ.एल. के भुगतानों पर रोक लगा दी।

घोटाले से हिली योगी सरकार ने चेयरमैन यू.पी.पी.सी.एल. के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक को हटा दिया,उच्च अधिकारियों व अन्य के खिलाफ एफ आइ आर दर्ज कर मामला सी बी आइ को दे दिया। गिरफ्तार हुए लोगों में पॉवर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट का सचिव प्रवीन कुमार गुप्ता तथा यू.पी.पी.सी.एल. का तत्कालीन वित्त निदेशक–सुधांशु द्विवेदी है।

स्रकार की कार्रवाई से असंतुष्ट कर्मचारी संघर्ष समिति ने हड़ताल समेत विरोध कार्रवाईयों का रास्ता पकड़ माँग की कि सरकार इस धन की वसूली सुनिश्चित कर कर्मचारियों को उसका भुगतान करने के बारे में अधिसूचना जारी करे; घोटले के दोषी सभी उच्च अधिकारियों को हटाया जाये; दोषियों की फौरन गिरफ्तारी हो तथा तय निगमों के विरुद्व ट्रस्ट के पैसे को निजी कंपनियों में निवेश का विस्तृत ब्यौरा देते हुए श्वेत पत्र जारी किया जाये।

अंततः हड़ताल के तुरन्त बाद यू पी पी सी एल ने 23 नवम्बर को योगी सरकार के इस फैसले की घोषणा की कि डी एच एफ एल के पास कर्मचारियों के ट्रस्ट के 2600 करोड़ रुपये की राशि को यू पी पी सी एल कर्मचारियों को लौटाने का सरकार बचन देती है। यदि कानूनी प्रक्रिया से डी एच एफ एल से पैसा नहीं मिलता है तथा पॉवर कारपोरेशन भुगतान करेगा। ''यदि पॉवर कारपोरेशन को पैसे को लेकर दिक्कत होगी तो ट्रस्ट को सरकार के कर से लोन दिया जायेगा ताकि कर्मचारियों की पी एफ की राशि उन्हें लौटाई जा सके '', सरकार के बयान में कहा गया। *(25/11/2019)*

## हरियाणा

# होंडा ठेका मजदूर छंटनी के खिलाफ हड़ताली संघर्ष पर

आर्थिक मंदी के आधार पर, हरियाणा के मानेसर संयंत्र में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 4 नवंबर को 410 ठेका मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। लगभग 3 महीने पहले, कम्पनी ने इसी बहाने से 500 कर्मचारियों को हटा दिया था।

इसके विरोध में, नियोजित बाकी 1800 ठेका कर्मचारियों ने 5 नवंबर से फैक्ट्री परिसर के अंदर हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और सभी निकाले गये ठेका कर्मचारी फैक्ट्री गेट के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लांट के 2000 स्थायी कर्मचारी हड़ताली ठेका मजदूरों को भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाकर उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

मानेसर में होंडा ठेका मजदूरों के आंदोलन को एनसीआर में गुड़गांव और अलवर से सटे औद्योगिक क्षेत्र में अन्य मजदूरों और यूनियनों से व्यापक सहानुभूति और सक्रिय समर्थन मिल रहा है। सीटू हरियाणा राज्य समिति और उसके अध्यक्ष सतबीर सिंह नियमित रूप से सहायता और समर्थन दे रहे हैं और आंदोलन स्थल पर जा रहे हैं।

प्रतिशोध में, प्रबंधन ने हड़ताली ठेका मजूदरों के लिए कारखाने में कैंटीन और शौचालय की सुविधा बंद कर दी; और ठेका मजदूरों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए स्थायी मजदूरों की यूनियन पर आरोप लगाते हुए, 11 नवंबर को संयंत्र के कार्य के निलम्बन का नोटिस जारी किया।

मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी के मुद्दे को हल करने के लिए पहल करने के बजाय, भाजपा सरकार ने जापानी कंपनी की सेवा में संयंत्र परिसर के अंदर सैकड़ों सशस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनात किया।

सीटू के सतबीर सिंह और एटक के नेताओं और अन्य लोगों के नेतृत्व में, हजारों मजदूरों ने गुड़गांव में मानेसर होंडा प्लांट से मिनी सचिवालय तक 15 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा की और 22 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर को निकाले गये ठेका मजदूरों के मसले का षीघ्र समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा।

## पश्चिम बंगाल

# पैरा–शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन

22 नवंबर को एक बयान में, सीटू के अखिल भारतीय केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के संघर्षरत पैरा–षिक्षकों को उनके दृढ़ संघर्ष के लिए बधाई दी है; जायज माँगों के लिए उनके संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की है; असंवेदनशील और निरंकुश राज्य सरकार की निंदा की और उनकी उचित माँगों को पूरा करने के लिए बातचीत आयोजित करने की माँग की; और सभी तबकों के मेहनतकशों से उनके समर्थन में एकजुटता कार्यक्रम आयोजित करने और राज्य सरकार के अमानवीय और असंवेदनशील रवैये की निन्दा करने का आह्वान किया।

पैरा–शिक्षक ओइक मंच के तहत एकजुट हजारों पैरा–शिक्षक, स्थायी शिक्षकों के समान वेतन एवं अन्य लाभों की माँग करते हुए, 11 नवंबर से कोलकाता में शिक्षा विभाग मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। धरने–प्रदर्शन के स्थान पर लगभग 50 पैरा–शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं। भूख हड़तालियों में से अनेकों पहले ही बीमार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। एक शिक्षक की मौत हो गई। सीटू ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। (26/11/2019)

# न्यूनतम वेतन के संघर्ष में एक विजय

## आईएलसी और सुप्रीम कोर्ट के 6 मानदंडों को कानून में लाया गया

वेतन संहिता (केंद्रीय) नियमों को, केंद्र सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2019 तक ट्रेड यूनियनों और जनता की राय के लिए अधिसूचित करना है। नियमों में कुछ प्रतिगामी बिंदु हैं जिन पर सीटू ने सरकार को अपनी राय भेजी है। केन्द्रीय नियमों का मसौदा दर्शाता है कि सरकार पीछे हटी है और यह न्यूनतम वेतन के लिए लंबे समय से एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन की जीत भी है।

देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राश्ट्रीय फेडरेशनों के एकजुट मंच की, पहले 10 और बाद में 12 सूत्रीय में से एक माँग निश्चित राशि के न्यूनतम वेतन की थी, जिसके लिए मजदूरों ने केन्द्र में यूपीए और बाद में एनडीए के एक दशक के शासन दौरान कई देशव्यापी आम हड़तालें की थी। अंतिम रु० 18,000, जो जनवरी 2016 के मूल्य स्तर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राश्ट्रीय न्यूनतम वेतन था, जिसे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा उन 5 मानदंड के आधार पर तय किया गया, जिन्हे मजदूरों लिए उच्चतम राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकाय 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) द्वारा 1957 में निर्धारित किया और 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (एआईआर 1992) जिसमें न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए 6वां मापदंड जोड़ते हुए 15वें आईएलसी के 5 मानदंडों को मंजूरी दी।

. . . . . कि वेतन पर कोड में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सहित वेतन से संबंधित चार श्रम कानूनों को शामिल किया गया है, जिसे संसद के पिछले बजट सत्र में जल्दबाजी में पारित किया गया था, उसमें मोदी सरकार ने इन 6 मानदंडों को शामिल नहीं किया था। भाजपा सरकार ने पहले भी एक 'विषेशज्ञ समिति' की नियुक्ति करके इन मानदंडों के साथ छेड़छाड़ की है, जिसने न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए नई 'कार्यप्रणाली' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीटू ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया।

मोदी सरकार ने इसे वैधता देने के लिए 'विशेषज्ञ समिति' में आईएलओ को भी शामिल किया। आईएलओ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलाकर 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट और इसकी 'कार्यप्रणाली' पर मनाने की कोशिश की। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट और न्यूनतम वेतन की गणना की उसकी कार्यप्रणाली को दृढ़ता से खारिज कर दिया; 15वें आईएलसी और 1991 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार 6 मानदंडों पर दृढ़ रहे; 30 सितंबर को मजदूरों का राष्ट्रीय जन सम्मेलन आयोजित किया गया और 6 मानदंडों के अनुसार मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण की इस माँग पर मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है।

ऐसी स्थिति में, मोदी सरकार को अपनी स्वयं की 'विषेशज्ञ समिति' की रिपोर्ट को अस्वीकार करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर, 2019 के आदेष के बाद एनसीटी दिल्ली में न्यूनतम वेतन पर, 1 नवंबर, 2019 को श्रम कानून में पहली बार केंद्रीय नियमों के मसौदे की अधिसूचना जारी कर 6 मानदंडों को शामिल किया गया। *(निचे देखें)*

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को निरस्त करने और वेतन पर संहिता को अपनाने के बाद, राज्य सरकारों को भी राज्य नियम बनाने होंगे। इसके बाद ही, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (i) और वेतन पर संहिता की धारा 7

(i) के अनुसार मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए जीवनयापन मूल्य सूचकांक के साथ जुड़े वेतन और भत्ते की आधार दर के निर्धारण के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन किया जाना है।

चूंकि न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए इन 6 मानदंडों को मुख्य अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है और अधीनस्थ केंद्रीय नियमों में रखा गया है, अब यह संम्बन्धित राज्य नियमों में 6 मानदंडों को शामिल करने के लिए ट्रेड यूनियनों को संघर्ष करना होगा, क्योंकि यह केंद्रीय नियमों के हिस्से में है।

केंद्र सरकार को भेजी गयी अपनी लिखित राय में, सीटू ने पहले से ही निम्नानुसार 6 मानदंडों को शामिल करने के लिए अधिनियम के संषोधन की मांग की है।

# अध्याय–2

## न्यूनतम वेतन

**3. वेतन की न्यूनतम दर की गणना करने का तरीका -** (1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, वेतन की न्यूनतम दर निम्नलिखित मानदंडों* को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन के आधार पर तय की जाएगी, अर्थातः–

(i) मानक मजदूर वर्ग के परिवार जिसमें कमाने वाले मजदूर के अतिरिक्त एक जीवनसाथी और दो बच्चे हैं; तीन वयस्क खपत इकाइयों के बराबर;

(ii) प्रति उपभोग इकाई प्रति दिन 2700 कैलोरी का शुद्ध सेवन;

(iii) मानक मजदूर वर्ग के परिवार के अनुसार प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;

(iv) आवास किराया खर्च के लिए भोजन और कपड़ों के खर्च 10 प्रतिषत;

(v) ईंधन, बिजली और व्यय के अन्य विविध मदों के लिए न्यूनतम वेतन के 20 प्रतिषत को जोड़ा जाए तथा

(vi) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता, मनोरंजन और आकस्मिक खर्च के लिए न्यूनतम वेतन के 25 प्रतिषत को जोड़ा जाए;

* नियम 3 के प्रावधान, मजदूरों के प्रतिनिधि सचिव बनाम प्रबंधन के रेप्टाकॉस ब्रेट एवं कम्पनी लिमिटेड और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **1992 एआईआर 504** के निर्णय में घोषित और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की सिफारिशों के अनुसार मानदंडों पर आधारित हैं।

उपरोक्त, वेतन पर कोड के अधिसूचित केन्द्रीय नियमों के मसौदे हिस्सा है, जिसमें न्यूनतम वेतन निर्धारण के के 6 मापदंड शामिल हैं।

– जे.एस.एम.

*(24.11.2019)*

# जेएनयू छात्र आंदोलन और जनता का समर्थन

20 नवंबर को एक बयान में, सीटू ने 18 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के संसद की ओर शांतिपूर्ण कूंच पर पुलिस के क्रूर हमलों की कड़ी निंदा की। जिसमें एक दृटिबाधित छात्र सहित 15 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। जेएनयू छात्र भारी फीस वृद्धि के खिलाफ एक महीने से संघर्श कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से वापस लेने की माँग कर रहे हैं। सीटू ने कहा कि ये मोटी फीस बढ़ोतरी उन छात्रों के लिए जैसे ''निष्कासन'' आदेश है, जिनके परिवार की आय 12,000 रुपये प्रति माह से कम है, जो जेएनयू में कुल छात्रों का 40% है।

सीटू ने संघर्षरत जेएनयू छात्रों के साथ अपनी एकजुटता और समर्थन को व्यक्त किया और सभी सीटू इकाइयों का आह्वान किया और मोदी शासन द्वारा नियंत्रित, दिल्ली पुलिस की मनमानी के लिए और गरीबों एवं उपेक्षित तबकों के छात्रों की गम्भीर स्थिति के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता की निंदा की।

सीटू ने केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके साथ चर्चा शुरू करने और जल्द से जल्द मुद्दों को निपटाने का आग्रह किया।

## जन मार्च

जेएनयू छात्रों की माँगों और संघर्ष के समर्थन में और उनके साथ एकजुटता में, ट्रेड यूनियनों के हजारों सदस्य – सीटू, एटक और एआईसीसीटीयू – और अन्य जन संगठनों सहित, एआईडीडब्ल्यूए और एनएफडब्ल्यूआई, युवा संगठनों और अन्य लोकतांत्रिक तबकों सहित दिल्ली के लोगों ने 23 नवंबर को मंडी हाउस से संसद तक मार्च किया। जिसमें उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने भी भाग लिया।

संसद मार्ग पर पुलिस के बैरिकेड ने मार्च को रोक दिया जहाँ यह एक जन एकता रैली और जनसभा में परिवर्तित हो गया। रैली को संबोधित करने वाले राजनीतिक नेताओं में पूर्व सांसद सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी शामिल रहे, जिन्होंने 1970 के दशक में जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में जेएनयू छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। रैली को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में भाकपा महासचिव डी. राजा पूर्व सांसद, मनोज झा सांसद (राजद) और योगेंद्र यादव शामिल हैं। वक्ताओं ने कहा कि जेएनयू के छात्रों के भविष्य पर यह हमला मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार है।

---

## भारतीय करदाताओं के समूह

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए आयकर ~~विभाग द्वारा नवीनतम आंकड़े जारी किए गए थे।~~ कुल 2.9 करोड़ वेतनभोगी करदाता हैं। करदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए, आयकर विभाग व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं करता है।

निम्नलिखित वेतनभोगी कर दाताओं के वार्षिक आय समूह थे

- भारत में करोड़पति करदाताओं की संख्या 97,689 थी, 2016–17 में 20% की छलांग;
- अत्यधिक अमीरों की रु० 100–500 करोड़ आय के समूह में 9 व्यक्ति हैं, जिनका औसत वार्षिक वेतन रु० 128 करोड़ है;
- 49,128 व्यक्तियों ने 1 करोड़ रुपये से ऊपर कमाया;
- 1.2 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक कमाए;
- 25–50 लाख की सीमा में कमाने वाले 5 लाख से अधिक लोग थे;
- लगभग 3.8 लाख लोगों ने रु० 20–25 लाख के बीच वार्षिक वेतन अर्जित किया;
- रु० 15–20 लाख वेतन अर्जित करने वाले 7 लाख से अधिक हैं;
- रु० 10–15 लाख के बीच वेतन कमाने वालों की संख्या 22 लाख से अधिक है;
- रु० 5.5–9.5 लाख के बीच वेतन अर्जित करने वाले 81.5 लाख हैं;

*(लाइव मिंट से साभार)*

# नरकीय छेद

**ये मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के भूमिगत सीवरों में काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य शहरों में मौतों की संख्या बढ़ गई है। ये अधिकांशतः एससी, एसटी और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं।**


सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

# पेट्रोलियम मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन

(रिपोर्ट पृ. 5)

घोषणापत्र पेश करते हुए देव रॉय

सांसद ई. करीम, संबोधित करते हुए

# रेलवे के निजीकरण का विरोध

(रिपोर्ट पृ. 14)

सासाराम में छात्र

गाजियाबाद में कर्मचारी

# मजदूरों द्वारा विरोध

(बाएं) लखनऊ में यूपी के बिजली कर्मचारी *(रिपोर्ट पृ 21)*; (दाएं) हरियाणा के मानसर में होंडा के मजदूरों को संबोधित करते सीटू नेता सतबीर *(रिपोर्ट पृ 22)*

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/12/2019)

# राजमुन्दरी में आइफा का 9वां सम्मेलन

*(Report Page 17)*

सीटू महासचिव तपन सेन उद्घाटन करते हुए

प्रतिनिधियों का सत्र

रैली और जनसभा का अंश

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता